

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953
{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम संख्या 5, 1954}

CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1953 (U.P.)
[U.P. ACT NO. 5 OF 1954]

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953¹

[उ.प्र. अधिनियम सं. 5 वर्ष 1954]

- उ.प्र. अधिनियम सं. 26, 1954
- उ.प्र. अधिनियम सं. 13, 1955
- उ.प्र. अधिनियम सं. 20, 1955
- उ.प्र. अधिनियम सं. 24, 1956
- उ.प्र. अधिनियम सं. 16, 1957
- उ.प्र. अधिनियम सं. 38, 1958
- उ.प्र. अधिनियम सं. 33, 1961
- उ.प्र. अधिनियम सं. 8, 1963
- उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1965
- उ.प्र. अधिनियम सं. 21, 1966
- राष्ट्रपति अधिनियम सं. 18, 1968
- उ.प्र. अधिनियम संख्या 4, 1969
- उ.प्र. अधिनियम सं. 31, 1970
- उ.प्र. अधिनियम सं. 34, 1974
- उ.प्र. अधिनियम सं. 30, 1975
- उ.प्र. अधिनियम सं. 35, 1976
- उ.प्र. अधिनियम सं. 6, 1978
- उ.प्र. अधिनियम सं. 20, 1982

द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 2 अप्रैल, 1963 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 20 अप्रैल, 1953 की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 4 मार्च, 1954 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 मार्च, 1954 को प्रकाशित हुआ।

कृषि विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

चूंकि यह आवश्यक है कि कृषि विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था की जाय,

अतएव, निम्नलिखित नियम बनाया जाता है —

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1— (1) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 7 मार्च, 1953 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

(3) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और इस अधिनियम का अवशिष्ट भाग (remainder) उस दिनांक से प्रचलित होगा, जिसे राज्य सरकार सरकार, गजट में इस हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

2— यू.पी. कन्सालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट, 1939 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

निरसन यू.पी. ऐक्ट सं.
8 सन् 1939

3— विषय या प्रसंग(subject context) में कोई बात प्रतिकूल परिभाषायें(repugnant) न होने पर, इस अधिनियम में —

परिभाषाएं

(1) “सहायक चकबन्दी अधिकारी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी, के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करें [और इसके अन्तर्गत सहायक समकोण अधिकारी (Assistant Rectangulation officer भी है;]³

{(1-क) “चक” का तात्पर्य चकबन्दी होने पर खातेदार को परिदिष्ट भूमि के खण्ड से है;]⁴

{(2) “चकबन्दी का तात्पर्य एक कटक की जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है, जिससे कि उनके अपने-अपने खाते अधिक संहत (compact) हो जायें।

स्पष्टीकरण :- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये जोत के अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(1) वह भूमि, जो धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के ठीक पहले के कृषि वर्ष में बाग थी,

(2) वह भूमि, जिसमें बाढ़ का पानी आया करता हो तथा जिसमें अत्यधिक कटाव होता हो,

(3) 1950 ई. के उत्तर प्रदेश जमींदारों विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 में उल्लिखित भूमि,

उ.प्र. अधिनियम 1 सन्
1951

(4) ऐसे संहत क्षेत्र, जो सामान्यतः दीर्घकाल तक जलप्लावित रहते हों,

(5) उसर, कल्लर तथा रोहाला के गाटों से बना कोई संहत क्षेत्र, जिसमें उक्त क्षेत्र के अन्दर की कृषि भूमि भी है,

(6) पान, गुलाब, बेला, चमेली-वर्ग(jasmine) तथा केवड़ा उपजाने के लिये प्रयुक्त भूमि, तथा

(7) ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें चकबन्दी संचालक, चकबन्दी के प्रयोजन के लिये अनुपयुक्त प्रख्यापित करें।]¹

{(2-क) “चकबन्दी क्षेत्र” का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जिसके लिये धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी हो, किन्तु इसमें उसके वे भाग सम्मिलित न होंगे, जिन पर 1950 के जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 {या किसी अन्य विधि, जिसके द्वारा जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी गई हो}⁵ के उपबंध लागू न हों।]²

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 38, 1958 की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 2 (3) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ.प्र. अधिनियम सं. 8 सन् 1963 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 3 (क) द्वारा अन्तःस्थापित।

{(2-कक) “चकबन्दी समिति” का तात्पर्य उस समिति से है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत रीति से संघटित की जाय।}¹

{(2-ख) “चकबन्दी लेखपाल” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी लेखपाल के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस स्थिति में नियुक्त कर तथा चकबन्दी क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में यू.पी. लैंड रेवेन्यू ऐक्ट 1901 के अधीन नियुक्त लेखपाल भी इसके अन्तर्गत है।}²

{(3) “चकबन्दी अधिकारी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करें {और इसके अन्तर्गत समकोण अधिकारी Rectangulation officer भी हैं।}³

{(3-क) “चकबन्दीकर्ता” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दीकर्ता के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करें {और इसके अन्तर्गत समकोणकार(Rectangulator) तथा चकबन्दी क्रियाओं के अधीन क्षेत्रों में यू.पी. लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अधीन उक्त क्षेत्र के नियुक्त सुपरवाइजर कानूनगों भी है।}⁵

{(3-ख) “चकबन्दी योजना” का तात्पर्य किसी कटक में चकबन्दी को योजना से है।}⁷

{(4) “चकबन्दी संचालक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन चकबन्दी संचालक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में नियुक्त करें और अतिरिक्त चकबन्दी संचालक तथा संयुक्त चकबन्दी संचालक भी इसके अन्तर्गत है।}⁸

{(4-क) “उप संचालक, चकबन्दी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार चकबन्दी संचालक के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस स्थिति में, नियुक्त करें, जो उसे राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायं तथा जिला उप संचालक चकबन्दी और सहायक चकबन्दी संचालक भी इसके अन्तर्गत है।

(4-ख) “जिला उप-संचालक चकबन्दी” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो तत्समय जिले का कलेक्टर हो,

(4-ग) “जोत” का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग अथवा भागों से है, जो किसी खातेदार द्वारा अकेले अथवा अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हों।}⁹

(5) “भूमि” का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, जो किसी के अधिकार या अध्यासन में कृषि, उद्यानकरण तथा पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन और कुक्कुट पालन भी है, से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये हों और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

-
1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 38, 1958 की धारा 2 (4) द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उपर्युक्त की धारा 2 (5) द्वारा बढ़ाया गया।
 3. उपर्युक्त की धारा 2 (6) द्वारा प्रतिस्थापित।
 4. उ.प्र. अधिनियम सं. 8, 1963 की धारा 2 (3) द्वारा बढ़ाये गये।
 5. उ.प्र. अधिनियम सं. 38, 1958 की धारा 2 (7) द्वारा प्रतिस्थापित।
 6. उ.प्र. अधिनियम सं. 8, 1963 की धारा 2 (4) द्वारा बढ़ाये गये।
 7. उपर्युक्त की धारा 2 (5) द्वारा बढ़ाये गये।
 8. उ.प्र. अधिनियम सं. 38, 1958 की धारा 2 (8) द्वारा प्रतिस्थापित।
 9. उपर्युक्त की धारा 2 (9) द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 3}

(एक) जोत का वह भाग, जो मकान या अन्य तत्सम रचना का स्थल हो; और

(दो) ऐसे पेड़, कुएँ और अन्य समुन्नतियाँ जो उन गाटों में हो, जिनसे मिलकर जोत बनी हो,]¹

(6) “विधिक प्रतिनिधि”(legal representative)का वहीं अर्थ है, जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिया गया है,

एक्ट सं. 5 1908

(7) “नियत” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

{(8) किसी लेख्य के सम्बन्ध में कटक में प्रकाशन या कटक में प्रकाशित करना, का तात्पर्य डुग्गी पीटकर पूर्व सूचित दिनांक पर किसी कटक में उस लेख्य को पढ़कर सुनाने तथा कटके में डुग्गी पीटकर अथवा अन्य किसी रुढ़िगत ढंग से इस तथ्य की घोषणा करने से है कि किसी निश्चित स्थान तथा समय पर वह लेख्य सार्वजनिक निरीक्षण के लिये उपलब्ध है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कटक के लिये चकबन्दी समिति संघटित हो गई हो, तो उक्त समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रकाशन के तथ्य की अलग-अलग सूचना भी दी जायेगी।]²

{(8-क) “समकोण निर्माण” का तात्पर्य चकबन्दी के समय चकों के प्रदेशन को विनियमित करने के उद्देश्य से कटक के क्षेत्र को सुविधाजनक आकार के समकोण चतुर्भुज तथा ऐसे चतुर्भुज के भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया से है;]³

{(9) “बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये, इस स्थिति में नियुक्त करे तथा अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी एवं सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी भी इसके अन्तर्गत है;]⁴

(10) “राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

{(11) “खातेदार” का तात्पर्य {अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर}⁷ से है और उसके अन्तर्गत—

(क) असामी,

(ख) सरकारी पट्टेदार या सरकारी अनुदानगृहीता, या

(ग) सहकारी कृषि समिति जो ऐसी शर्तों को पूरा करती हो, जो नियत की जायें, भी हैं;]⁵

□{(11-क) “कटक” का तात्पर्य ऐसे गांव या उसके भाग में है, और यदि चकबन्दी संचालक सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा यह विज्ञापित करे तो, ऐसे दो या अधिक गांव अथवा उनके भागों से है, जिसके या जिनके लिए चकबन्दी की एक ही योजना बनानी है;]⁶

-
1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 2 (6) द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उ.प्र. अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 2 (11) द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 2 (7) द्वारा बढ़ाया गया।
 4. उ.प्र. अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 2 (12) द्वारा प्रतिस्थापित।
 5. उ.प्र. अधिनियम संख्या 12, 1965 की धारा 44 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
 6. उ.प्र. अधिनियम सं. 38, 1958 की धारा 2 (14) द्वारा बढ़ाया गया।
 7. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 3 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

(12) उन शब्दों और पदों के —

(क) जिनकी इस अधिनियम में परिभाषा नहीं की गई है किन्तु जो यू. पी. लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में {प्रयुक्त अथवा}¹ परिभाषित है, अथवा

(ख) जो इस अधिनियम में यू. पी. लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 में परिभाषित नहीं है {किन्तु जो 1950 ई. के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में प्रयुक्त अथवा परिभाषित है,}²

वही अर्थ होंगे, जो उनके उस ऐक्ट या उस अधिनियम में दिये गए हैं, जिनमें वे इस प्रकार {प्रयुक्त या}² परिभाषित हैं, {और

(13) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 और यू. पी. लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट 1901 के संबंध में अभिदेश(References) समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम (ऐक्ट) के सम्बन्ध में अभिदेश(References) समझे जायेंगे।³

अध्याय 2

नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन

4— {(1) (क) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबन्दी क्रियाओं के अधीन लाया जाय, तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है। तदुपरांत किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिये, जो जिला उप-संचालक, चकबन्दी द्वारा तदर्थ अधिकृत किये जाये, यह विधि संगत होगा कि वह —

चकबन्दी के सम्बन्ध में प्रख्यापन तथा विज्ञप्ति

(एक) उक्त क्षेत्र की किसी भूमि में, समकोण निर्माण के संबंध में या अन्यथा प्रवेश करे तथा उसका सर्वेक्षण करे और स्तर (level) मालूम करे,

(दो) समकोण निर्माण के सम्बन्ध में खम्भे लगाये, और

(तीन) चकबन्दी क्रियाओं के लिये क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करे।

(ख) जिला उप-संचालक चकबन्दी खण्ड (क) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन की सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके भाग में सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवायेगा।

(2) (क) जब राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबन्दी क्रियायें आरम्भ कराने का निश्चय करें, तो वह इस आशय की विज्ञप्ति जारी कर सकती है।⁴

{(ख) प्रत्येक ऐसी विज्ञप्ति गजट में और ऐसे किसी दैनिक समाचार-पत्र में, जिसका उक्त क्षेत्र में परिचलन हो, प्रकाशित की जायेगी और उक्त क्षेत्र में प्रत्येक कटक में ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायेगी, जैसी समुचित समझी जाय।}⁵

-
1. उ.प्र. अधिनियम सं. 38 1958 की धारा 2 (15) द्वारा बढ़ाये गये।
 2. उपर्युक्त की धारा 2 (15-2) द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1965 की धारा 44 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
 4. उ.प्र. प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
 5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 5}

{[4-क (1) जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग की स्थिति में, जिसके संबंध में धारा 52 के अधीन विज्ञापित जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहां वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग फिर से चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत लाया जा सकता है :}

{प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धारा में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से बीस वर्ष के भीतर कोई ऐसा प्रख्यापन जारी नहीं किया जायेगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार लोकहित में उक्त दिनांक से 10 वर्ष के पश्चात् ऐसा प्रख्यापन जारी कर सकेगी।}^5

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति पर इस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे धारा 4 के अधीन किसी विज्ञप्ति पर लागू होते हैं।}^1

²{5— (1) सरकारी गजट के (धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा 52 के अधीन अथवा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जैसी भी दशा हो, विज्ञापित प्रकाशित होने तक {धारा 4 (2) के अधीन विज्ञप्ति}^3 से सम्बद्ध क्षेत्र में, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे}

{धारा 4 (2) के अधीन विज्ञप्ति}^3 का प्रभाव

(क) जिला अथवा उसका भाग, जैसा भी दशा हो, चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा और अधिकार अभिलेख का रख-रखाव तथा प्रत्येक गांव के नक्शे, खसरे, और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी का कार्य जिला उपसंचालक चकबन्दी करेगा, जो कि उसका रख-रखाव उनकी तैयारी, जैसी भी दशा हो, नियत रीति से करेगा;

(ख) {***}^4

(ग) 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी की लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार—

(एक) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसमें मत्स्य, संबर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असंबद्ध प्रयोजन के लिये अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा, और

(दो) {***}^6

किन्तु प्रतिबंध यह है कि खातेदार अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये कर सकता है, जिसके लिये धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई विज्ञापित में निर्दिष्ट दिनांक से पहले वह उपयोग में लाया जा रहा था।

{(2) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति के उक्त प्रकाशन के फलस्वरूप विज्ञप्ति से सम्बद्ध क्षेत्र में निम्नलिखित और परिणाम होंगे, अर्थात् —}

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 35, 1976 की धारा 30 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ. प्र. अधिनियम सं. 38, 1938 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ.प्र. अधिनियम संख्या 12, 1965 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ.प्र. अधिनियम संख्या 21 1966 की धारा 2 (एक) द्वारा निकाली गई।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24 वर्ष 1986 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 5 द्वारा निकाले गए।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 6-6क}

(क) अभिलेखों के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का तथा उस क्षेत्र में स्थिति किसी भूमि में अधिकारों या स्वतत्त्व के प्रख्यापन के संबंध में प्रत्येक वाद और कार्यवाही का अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार के, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो या की जानी चाहिये, प्रख्यापन या निर्णय के लिये प्रत्येक बाद या कार्यवाही का, जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा, जिसके समक्ष ऐसे वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, तदर्थ आदेश देने पर उपशमन हो जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश सम्बद्ध पक्षों को डाक से अथवा अन्य किसी रीति से नोटिस दिये बिना और, उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं दिया जायगा :

प्रतिबंध यह भी है कि उक्त क्षेत्र अथवा उसके भाग के संबंध में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति जारी किये जाने पर, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र या उसमें भाग में स्थिति भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसा आदेश रद्द हो जायेगा;

(ख) ऐसे उपशमन से उक्त वादों अथवा कार्यवाहियों में विवादस्पद अधिकारों अथवा स्वत्वों के प्रश्नों को, इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के समुचित चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।¹

{स्पष्टीकरण—} उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन कोई कार्यवाही या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 134 से 137 के अधीन निर्विरोध कार्यवाही को किसी भूमि में अधिकार या स्वत्व की घोषणा के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं समझा जायेगा।²

6— (1) राज्य सरकार के लिये वैध होगा कि वह धारा 4 के अन्तर्गत प्रचारित [विज्ञप्ति]³ को उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग के सम्बन्ध में रद्द कर दे।

धारा 4 के अन्तर्गत प्रचारित [विज्ञप्ति]³ का रद्द करना

{(2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी कटक के सम्बन्ध में (विज्ञप्ति रद्द कर दी जाय) तो वह क्षेत्र यदि उक्त रद्द करने के दिनांक पर या उससे पहले पारित तथा भूमि अभिलेखों में संशोधन से सम्बद्ध, कोई अन्तिम आज्ञा हों, तो उसके पहले पारित तथा भूमि-अभिलेखों में संशोधन से सम्बद्ध, कोई अन्तिम आज्ञा हो, तो उसके अधीन रहते हुये, रद्द करने के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अधीन न रह जायगा।⁴

{6-क— (1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 4-क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् और धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरण निर्विवाद मामले को चकबन्दीकर्ता द्वारा और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामले को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी जाच के पश्चात्, जैसी विहित की जाये, निपटाया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् इस धारा के अधीन किसी मामले को न तो ग्रहण किया जायेगा, न ही जारी रखा जायेगा और न ही निपटाया जायेगा।

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 21, 1966 की धारा 2 (दो) द्वारा बढ़ाया गया बनाई गई।
2. उ.प्र. अधि. सं. 35 सन् 1976 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव से प्रतिस्थापित समझा जायगा।
3. उ.प्र. अधि. सं. 8 सन् 1963 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ.प्र. अधि सं. 38 सन् 1958 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नहीं करेगा।⁴

7 — कटक के प्रत्येक गांव अथवा उसके भाग के अभिलेखों से पुनरीक्षण को सरल बनाने के विचार से तथा यहां आगे दिये हुये उपबन्धों के अधीन रहते हुए जला उपसंचालक, चकबन्दी कटक की [प्रारम्भिक]¹ चकबन्दी योजना तैयार होने के पूर्व उस कटक के गांव के नक्शों का पुनरीक्षण करवायेगा।

गांव के नक्शों का पुनरीक्षण

{8 — (1) धारा 7 के अधीन नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने पर जिला उपसंचालक, चकबन्दी आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुये, और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय—

खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण, संयुक्त जोतों के मूल्यां और अंशों का अवधारण

(एक) कटक के खसरे का, खेतवार पड़ताल के पश्चात्, और चालू वार्षिक रजिस्टर का, उसके परीक्षण तथा उसकी जांच के पश्चात् पुनरीक्षण करवायेगा;

(दो) चकबन्दी समिति के परामर्श से

(क) प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन, उसकी उत्पादन शक्ति, और स्थिति पर, और यदि सिंचाई की कोई सुविधायें उपलब्ध हों, तो उन पर भी, विचार करने के पश्चात् करायेगा, और

(ख) गाटों के सभी पेड़ों कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन, उनका प्रतिकर आंकलित करने के प्रयोजनार्थ करायेगा;

(तीन) यदि एक से अधिक स्वामी हों, तो खण्ड (2) के उपखंड (ख) के अधीन अवधारित मूल्य में प्रत्येक स्वामी का अंश निश्चित करवायेगा, और

(चार) उचित चकबन्दी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन करने के लिये संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित करायेगा।

(2) जिला उपसंचालक, चकबन्दी, कटक के अन्तर्गत आने वाले गाटों के सम्बन्ध में नियत आकार में, खसरा चकबन्दी तैयार करवायेगा और एक ऐसा विवरण तैयार करवायेगा, जिसमें वे अशुद्धियां {उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले}³ तथा विवाद दिखाये जायेंगे, जो वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण तथा उसकी जांच करते समय और खेतवार पड़ताल के दौरान में ज्ञात हुए हों।²

{8-क— (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से चकबन्दी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के सम्बन्ध में एक विवरण, जिसे यहां आगे सिद्धान्तों का विवरण कहा गया है, नियत आकार में तैयार करेगा, जिसमें वे सिद्धान्त दिये हुए होंगे, जिनका अनुसरण कटक में चकबन्दी क्रियाओं के करने में किया जायेगा।

सिद्धान्तों का विवरण तैयार करना

(2) सिद्धान्तों के विवरण में निम्नलिखित बातें भी होंगी :—

(क) उन क्षेत्रों के व्योरे, जहां तक वे उस समय अवधारित किये जा सके, जो आबादी प्रसार (जिसके अन्तर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिये क्षेत्र भी है,) तथा ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायें, विनिर्दिष्ट किये जायेंगे,

1. उ० प्र० अधिनियम सं. 8 वर्ष 1963 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 6 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02 वर्ष 2005 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 9}

(ख) वह आधार, जिस पर खातेदार आबी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि देंगे, और

(ग) उस भूमि में ब्योरे, जो 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 या 117-क के अधीन गांव सभा या स्थानिक अधिकारियों (स्थानीय प्राधिकारिकी) में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त विनिर्दिष्ट की जायेगी;]¹

{(घ) प्रत्येक कटक के लिये मानक गाटा।]³

{(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता, अवस्थिति और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए चकबन्दी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम गाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा (2) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट मानक गाटों का अवधारण करेगा।]⁴

{9— (1) धारा 8 तथा 8-क में उल्लिखित अभिलेखों तथा विवरणों के तैयार हो जाने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी—

(क) यदि कोई लिपिक अशुद्धियां {उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले}⁵ हों, तो उन्हीं सही करेगा और सम्बद्ध खातेदारों तथा स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा, जिनमें चालू वार्षिक रजिस्टर और अन्य ऐसे अभिलेखों के जो नियत किये जाये, सम्बद्ध उद्धर होंगे और जिनसे निम्नलिखित बातें प्रकट हों—

(एक) उनके भूमि में अधिकार और उसके सम्बन्ध में दायित्व,

(दो) उसके सम्बन्ध में धारा 8 के अन्तर्गत पाई गई अशुद्धियां {उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले}⁵ और विवाद,

(तीन) उचित चकबन्दी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन आवश्यक होने पर उसके प्रयोजनार्थ संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट अंश,

(चार) गाटों का मूल्यांकन, और

(पांच) पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आंकलित करने के लिये उनका मूल्यांकन तथा यदि उनके अधिक स्वामी हों, तो उसका अभिभाजन,

(ख) चालू खसरा, और चालू वार्षिक रजिस्टर, खसरा चकबन्दी, धारा 8-क के अधीन तैयार किया सिद्धान्तों का विवरण तथा कोई अन्य अभिलेख, जो अन्य बातों के साथ-साथ खण्ड (क) में उल्लिखित अन्य ब्योरे दिखाने के लिए नियत किये जायें, कटक में प्रकाशित करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, या स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, नोटिस प्राप्त होने के, या उपधारा (1) के अधीन प्रकाशन के, 21 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, जिनमें अभिलेखों या उसमें से लिये गये उद्धरणों के इन्दाराजों की शुद्धता अथवा उनके प्रकार के सम्बन्ध में, या सिद्धान्तों के विवरण के सम्बन्ध में, या विभाजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो।]²

अभिलेखों तथा विवरणों के उद्धरा जारी करना और धारा 8 तथा 8-क में उल्लिखित अभिलेखों को प्रकाशित करना और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये नोटिस जारी करना

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 8 सन् 1963 की धारा 7 द्वारा जोड़ी गई।
2. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 6 वर्ष 1978 की धारा 9 (एक) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 9 (दो) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 9क-9ग}

{9-क— (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, उस दशा में—

(एक) जब भूमि पर दावों या संयुक्त जोतों के विभाजन के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत हों, तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात्; और

(दो) जब कोई ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत न की गई हों, तो ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अपने समक्ष उपस्थिति होने वाले पक्षों में समझौता कराकर जहां तक सम्भव हो, विवाद का निपटारा करेगा। अशुद्धियां को ठीक करेगा तथा विभाजन करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आज्ञायें पारित करेगा।

{किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां सहायक चकबन्दी अधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाय कि उत्तराधिकार का मामला निर्विवाद है, वहां वह मामले का निस्तारण ऐसी जांच के आधार पर करेगा।}¹

(2) वे सभी मामले, जो उपधारा (1) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा निस्तारित न किये गये हों तथा गाटों के मूल्यांकन के सम्बद्ध सभी मामले और वे सभी मामले जिनका संबंध पेड़ों कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आंकलित करने के लिये उनके मूल्यांकन तथा यदि एक से अधिक स्वामी हों तो उसको सहस्वामियों में अभिभाजित करने से हों, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चकबन्दी अधिकारी को भेजे जायेंगे, जो उनका निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कार्य करता हुआ सहायक चकबन्दी अधिकारी और उपधारा (2) के अधीन कार्य करता हुआ चकबन्दी अधिकारी तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, सक्षम न्यायालय माना जायेगा।

9-ख— (1) जब धारा 9 के अधीन सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और चकबन्दी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा।

सिद्धान्तों के विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण

(2) यदि सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध धारा 9 में नियत समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो तो उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् वह सिद्धान्तों के विवरण में ऐसे परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उक्त आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(4) आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पहले चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, सम्बद्ध पक्षों तथा चकबन्दी समिति को उचित पूर्व सूचना देने के पश्चात् कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा।

9-ग— (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी, धारा 9-क के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते हैं, भले ही 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 178 में या किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात दी गई हो और वे उसका विभाजन स्वतः भी कर सकते हैं।

संयुक्त जोतों का विभाजन

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 10-11ख}

(2) संयुक्त जोतों का विभाजन अंशों के आधार पर किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सम्बद्ध खातेदार सहमत हों तो विभाजन विशिष्ट गाटों के आधार पर किया जा सकता है।⁶

{10— (1) वार्षिक रजिस्टर धारा 9-क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दी गई आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा। तत्पश्चात् वह नियत आकार में तैयार किया जायेगा तथा कटक में प्रकाशित किया जायेगा।

पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना

(2) जब उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित वार्षिक रजिस्टर के किसी इन्दराज का, इस अधिनियम का किसी अन्यविधि के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसरण में, परिष्कार किया जाये, तो उस आज्ञा का निर्देश और उसकी प्रवर्ती भाग का उद्धरण उक्त इन्दराज के सामने दर्ज किया जायेगा।²

10-क— {X X X}¹

10-ख— {X X X}¹

{11— (1) धारा 9-क के अधीन होने वाली कार्यवाहियों का कोई पक्ष जो, उस धारा के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, उस आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा, जो कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और उस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

अपील

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) सक्षम न्यायालय समझा जायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि में कोई विपरीत बात दी हो।³

{11-क— चकबन्दी क्षेत्र से सम्बन्धित निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी भी ऐसे प्रश्न को, {जो धारा 9 के अधीन उठाया गया हो या जो उक्त धारा के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिये था}⁷ परन्तु उठाया नहीं गया हो, चकबन्दी कार्यवाहियों की किसी बाद की अवस्था में न तो उठाया जायगा और न उसकी सुनवाई की जायेगी :-

आपत्तियों पर रोक

(1) भूमि के दावे,

(2) संयुक्त जोतों का विभाजन, और

(3) यदि प्रश्न धारा 10 के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या पेड़ों, कुओं या अन्य समुन्निधियों के स्वामी द्वारा उठाया जाय, तो गाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य सतन्तियों का मूल्यांकन।⁴

11-ख— {X X X}⁵

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 6 द्वारा निकाली गयी।
2. उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 13 द्वारा निकाली गयी।
6. उपर्युक्त की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।
7. उ.प्र. अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 11 ग-12घ}

{11-ग— धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति या धारा 11 के अधीन अपील अथवा धारा 48 के अधीन पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सुनवाई के दौरान चकबन्दी अधिकारी, दे सकता है कि कोई भूमि, जो राज्य सरकार या बांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकारी में निहित हो उसके नाम से अभिलिखित की जाय, भले ही ऐसी सरकार, गांव सभा, निकाय या प्राधिकारी द्वारा कोई आपत्ति अपील या पुनरीक्षण दाखिल न किया गया हो।⁶}

{12— (1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षण अभिलेखों में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित तब विद्यमान नहीं था, जब धारा 7 से 9 तक की कार्यवाहियों प्रारम्भ की गयी थी अथवा चल रही थी, उसके उत्पन्न होने पर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाये जा सकते हैं, किन्तु धारा 52 अथवा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् नहीं।

पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों अथवा स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध मामलों का निर्णय

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई मामला उठाया जाय तो उसकी सुनवाई तथा निर्णय पर धारा 7 से 11 तक के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू हों, मानों वह उपर्युक्त धाराओं के अधीन उठाया गया मामला हो।²}

{12-क— (1) 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) इस सम्बन्ध में निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए—

नई जोतों की मालगुजारी का अवधारण तथा जातों के भाग पर मालगुजारी का विवरण

(क) इस अधिनियम { * * * }³ के अधीन पारित आज्ञाओं के फलस्वरूप खातेदार द्वारा अर्जित भूमि के अधिकारों के निमित्त देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित कर सकता है, तथा

(ख) जहां आवश्यक हो वहां खातेदार की जोत के भाग के निमित्त देय मालगुजारी भी अवधारित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय मालगुजारी की धनराशि अवधारित करने में 1950 ई. के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।¹}

12-ख { * * * }⁴

12-ग { * * * }⁴

{12-घ— धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशित हो जाने के पूर्व दो या अधिक खातेदार किसी भी समय चकबंदी अधिकारी को समान भौमिक अधिकारों वाली अपनी जोतों को ऐसी शर्तों पर जो उनमें आपस में तय हो, संयोजित करने के निमित्त प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। यदि प्रस्तावित संयोजन चकबंदी के हित में हो तो चकबंदी अधिकारी उसे कार्यान्वित करेगा।⁵}

जोतों का संयोजन

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 7 द्वारा बढ़ायी गयी।
2. उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की उपधारा 15 द्वारा निकाली गयी।
4. उपर्युक्त की धारा 16 द्वारा निकाली गयी।
5. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ.प्र. अधिनियम संख्या 34, 1974 की धारा 22 द्वारा बढ़ाई गई।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 13-19}

अध्याय 3

चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

- 13— {***}¹
13-क— {***}¹
13-ख— {***}¹
13-ग— {***}¹
13-घ— {***}¹
14— {***}²
15— {***}³
16— {***}²
16-क— {***}¹
16-ख— {***}¹
17— {***}²
18— {***}²

{19— (1) चकबन्दी योजना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी, अर्थात् :-

चकबन्दी योजना द्वारा शर्तों का पूरा किया जाना

(क) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिये गये अंशदानों के कारण की गयी कटौतियों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, खातेदार के अधिकारी तथा दायित्व, जैसे कि वे धारा 10 के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित हों, उसे (खातेदार की) प्रदिष्ट भूमियों में सुरक्षित रहे,

(ख) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये गये अंशदानों के कारण की गई कटौतियों (यदि कोई हों) के अधीन रहते हुए, खातेदार को प्रदिष्ट गांटों का मूल्यांकन उसके द्वारा मूलतः धृत गांटों के मूल्यांकन के बराबर हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय उस दशा के जब चकबन्दी संचालक ने तदर्थ अनुज्ञा द दी हो, खातेदार को प्रदिष्ट जोत या जोतों के क्षेत्रफल और उसकी मूल जोत या जोतों के क्षेत्रफल का अन्तर उपरोक्त क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक न होगा।

(ग) इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित प्रतिकर निम्नवत दिया जाय—

(1) खातेदार को —

(एक) उन पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिये, जो उसके द्वारा मूलतः धृत थे और जो दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट कर दिये गये हों, और

(दो) सार्वजनिक दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट कर दिये गये हों, और

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 18 द्वारा निकाली गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 38, 1958 की धारा 11 द्वारा निकाली गयी।
3. उत्तर प्रदेश उपर्युक्त की धारा 13 द्वारा निकाली गयी।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 19क-20}

(2) यथास्थिति, गांव सभा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी समुन्नति के लिये, यदि कोई हो, जो उसने उस भूमि पर की हो, जो उसकी हो और किसी खातेदार को प्रदिष्ट कर दी गई हो,

(घ) सिद्धांतों के विवरण में दिये गये सिद्धांतों का अनुसरण किया जाय,

(ङ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, उस स्थान पर जो उसके पास अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग हो, संहत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाय;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उप संचालक चकबन्दी के लिखित अनुमोदन के बिना किसी खातेदार को तीन से अधिक चक प्रदिष्ट नहीं किये जा सकते;

प्रतिबन्ध यह भी है कि की गयी कोई भी चकबन्दी केवल इसलिए अवैध न मानी जायेगी कि किसी खातेदार के पास प्रदिष्ट तक तीन से अधिक है,

(च) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, वह गाटा प्रदिष्ट किया जाय, जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन अथवा कोई अन्य समुन्नति विद्यमान हो और साथ में उसके निकट ऐसा क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाय, जिसका मूल्यांकन लगभग उतना ही हो, जितना वहां पर उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों का था, और

(छ) प्रत्येक खातेदार को, यथासम्भव, समकोण निर्माण कटकों में समकोण निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक प्रदिष्ट किये जायें।

(2) कोई भी चकबन्दी योजना, धारा 23 के अधीन उसे अंतिम रूप दिये जाने के पूर्व धारा 19-क के उपबन्धों के अनुसार प्रारम्भिक रूप से तैयार की जायेगी।¹

{19-क— (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति के परामर्श से, नियत आकार में, कटक के लिए प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार करेगा।

सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

(2) इस अधिनियम में या 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 या तत्सम्यम प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सहायक चकबन्दी अधिकारी के लिए, जहां उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर हो, यह विधिसंगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात् कोई भी भूमि, जो [राज्य सरकार की हो या कोई भूमि, जो]³ 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 या 117-क के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के फलस्वरूप गांव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो, किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट करें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है तो वह भूमि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्रख्यापन करने के पश्चात् ही प्रदिष्ट की जायगी कि सार्वजनिक तथा समस्त विशेषों के उस भूमि में या उस पर अधिकारों को किसी अन्य भूमि में जो प्रख्यापन में निर्दिष्ट हो और उक्त प्रयोजन के लिये प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में विनिर्दिष्ट हो, संक्रमित करने का प्रस्ताव है।²

{20— (1) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा, जिनमें उक्त योजना से लिये गये सम्बद्ध उद्घरण दिये होंगे। तत्पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना कटक में प्रकाशित की जायगी।

प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करना

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 8, 1963 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 21}

(2) धारा 11—क में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, और प्रारम्भिक चकबन्दी योजना से प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के इन्दराजों या उससे लिये गये उद्घरणों के औचित्य या शुद्धता पर आपत्ति करें, यथास्थिति, नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से या प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(3) कोई भी प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या उस पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो, या ऐसा अन्य स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो, जिस पर धारा 19—क की उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रख्यापन से स्वतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष, यह बताते हुये, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है कि उक्त स्वत्व या अधिकार किस प्रकार का है।²

[21— (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियां तदर्थ नियत कालावधि की समाप्ति के पश्चात् उसके द्वारा चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जायेगी जो कि एतदपेक्षा व्यवस्थित रीति से सम्बद्ध फरीकों तथा चकबन्दी समिति को नोटिस देने के पश्चात् उन्हें और साथ ही साथ अपने को प्राप्त आपत्तियों को भी निरसित करेगा।]¹

प्रारम्भिक चकबन्दी योजना पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो आज्ञा के दिनांक से {15}³ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय सिवाय इस दशा में जब कि इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम में, अन्यथा व्यवस्था हो, अन्तिम होगा।

(3) आपत्तियां निर्णीत करने से पहले चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों तथा चकबन्दी समिति को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त गाटों का स्थानीय निरीक्षण करेगा तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) भी अपील निर्णीत करने से पहले ऐसा कर सकता है।

(4) यदि किसी आपत्ति के निस्तारण अथवा अपील की सुनवाई के दौरान में, यथा स्थिति, चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) की यह राय हो कि, यथास्थिति, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा तैयार की गई या बाद में चकबन्दी अधिकारी द्वारा वरिष्कृत की गई प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के कार्यान्वयन से बहुत से खातेदारों के साथ सारतः अन्याय होने को सम्भावना है, और प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण किये बिना अथवा नई प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार किये बिना कटकों के खातेदारों की भूमि का ठीक और उचित प्रदेशन सम्भव नहीं है, तो उन कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायगा —

(एक) चकबन्दी अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे ऐसे निर्देश सहित, जिन्हें चकबन्दी अधिकारी आवश्यक समझे सहायक चकबन्दी अधिकारी को वापस कर दे, और

1. उ. प्र. अधिनियम सं 38, 1958 की धारा 18 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ. प्र. अधिनियम सं 8, 1963 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित
3. उपर्युक्त की धारा 22 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

(दो) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिये यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण करे अथवा उसे सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी को जैसा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) उचित समझे, ऐसे निदेशों के साथ वापस कर दे, जिन्हें वह आवश्यक समझे।¹

(5) {X X X}²

(6) {X X X}²

22— {X X X}³

{23— (1) (क) यदि धारा 20 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गई हो, या

प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि तथा प्रदेश आज्ञाओं का जारी किया जाना

(ख) यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की गई हो, तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो धारा 21 की उपधारा (1) से (4) तक के अधीन दी गई आज्ञाओं को दृष्टि में रखते हुए आवश्यक हों, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) प्रारम्भिक योजना की पुष्टि करेगा।

(2) इस प्रकार पुष्टिकृत प्रारम्भिक चकबन्दी योजना कटक में प्रकाशित की जायेगी तथा इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये अन्तिम होगी।

(3) (1) यदि धारा 19—क के अधीन किये गये प्रदेशनों को धारा 21 के अधीन परिष्कृत न किया जाय और उपधारा (1) के अधीन उनकी पुष्टि कर दी जाय, तो धारा 20 के अधीन जारी किये गये नोटिस में दिये गये उद्घरणों को सम्बद्ध खातेदारों के लिये [इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए,]⁶ अन्तिम प्रदेशन आज्ञायें समझा जायेगा।

(2) खण्ड (1) के अधीन न आने वाले मामलों में पुनरीक्षित उद्घरण, जिनमें उपधारा (1) के अधीन पुष्टिकृत प्रदेशन उल्लिखित होंगे—

(क) यदि प्रदेशन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा परिष्कृत न किये गए हो, तो चकबन्दी अधिकारी द्वारा; और

(ख) यदि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ने प्रदर्शनों का परिष्कार किया हो, तो उसके द्वारा, जारी किये जायेंगे और वे सम्बद्ध खातेदारों के लिये [इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये अन्तिम प्रवेशन आज्ञायें होंगी।]⁶⁴

अध्याय 4

योजना का लागू किया जाना

24— बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी वह दिनांक निश्चित करेगा, जो कटक में विज्ञापित होगा, तथा जिस दिनांक से {अन्तिम चकबन्दी योजना}⁵ प्रचलित होगी। उक्त दिनांक को अथवा उसके पश्चात् खातेदारों को प्रदिष्ट गाटों पर कब्जा करने का अधिकार होगा।

कब्जा और पेड़ों आदि के लिए प्रतिकर का दायित्व

1. उ. प्र. अधिनियम सं 8, 1963 की धारा 22 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 22 (3) द्वारा निकाली गयी।
3. उपर्युक्त की धारा 23 द्वारा निकाली गयी।
4. उपर्युक्त की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ. प्र. अधिनियम सं 8, 1963 की धारा 25 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ. प्र. अधिनियम सं 12, 1965 की धारा 46 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) {अन्तिम चकबन्दी योजना}² के कार्यान्वयन के अनुसरण में उसको प्रदिष्ट गाटों में स्थित पेड़, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों को पाने वाला प्रत्येक खातेदार कब्जा पाने के दिनांक से उसके भूतपूर्व खातेदार के पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिये, जो उसे प्रदिष्ट की गई हों, यहां पूर्व व्यवस्थित रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा {और देगा।}³ ¹

25— {X X X}⁴

26— {X X X}⁴

26-क— {X X X}⁴

{27— (1) अन्तिम चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, जिला उपसंचालक चकबन्दी, धारा 7 के अधीन यथासंशोधित नक्शों, खसरा चकबन्दी तथा धारा 10 के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर के इनदराजों और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्तिम रूप से दे दी गई तथा जारी की गई प्रदेशन आज्ञाओं के आधार पर प्रत्येक गांव के लिये चकबन्दी का क्षेत्र नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार करायेगा तथा नक्शों और अभिलेखों को तैयार करने में यू.पी. लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के उपबन्धों का ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जायें, अनुसरण जायेगा।}⁵

नये माल अभिलेख

यू.पी. ऐक्ट सं. 3, 1901

{(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार तैयार किए गये अधिकार अभिलेखों की सभी प्रविष्टियां ठीक मानी जायेंगी जब तक उसके विरुद्ध प्रमाणित न कर दिया जाय।

(3) धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् कलेक्टर अपने द्वारा पहले रखे जाने वाले नक्शे, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के स्थान पर उपधारा (1) के अनुसार तैयार किये गये नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख रखेगा {और ऐसा नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के रखे जाने उन्हें शुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में यू.पी. लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।}⁷ }⁶

{28— (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसे खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के प्रार्थना पत्र पर, जिसे अन्तिम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत चक या भूमियां प्रदिष्ट की गई हों, {और जहां कोई भूमि राज्य सरकार को प्रदिष्ट की गई हो, वहां राज्य सरकार के किसी प्रार्थना-पत्र के बिना, उस दिनांक के, जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो, छः माह के भीतर, यथास्थिति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति या राज्य सरकार को प्रदिष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा दिलायेगा}⁸ और ऐसा करने में उसे वे सभी अधिकार, जिनमें अवमान, प्रतिरोध तथा ऐसी अन्य बातों के सम्बन्ध में अधिकार भी हैं, प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्की के निष्पादन में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं :

कब्जा दिलाना

1. उ. प्र. अधिनियम सं 38 1958 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ. प्र. अधिनियम सं 8, 1963 की धारा 25 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 25 (2) द्वारा निकाली गयी।
4. उ. प्र. अधिनियम सं 38, 1958 की धारा 22 द्वारा निकाली गई।
5. उ. प्र. अधिनियम सं 8, 1963 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ.प्र. अधिनियम सं. 12, 1965 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ. प्र. अधिनियम सं 34, 1974 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 10 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से अभिलिखित किये जायेंगे, यह निर्णय न करे, कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जायेगा उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संकामित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर उक्त चक या भूमियों या उनके भाग पर खड़ी फसलों को पालने-पोषने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कोई व्यक्ति प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार खड़ी फसलों का पालन-पोषण करे तथा उन्हें एकत्र करे तो वह उस व्यक्ति को जिसे चक या भूमियां प्रदिष्ट की गई हों, भूमि के प्रयोग के लिये ऐसी दर पर और ऐसी रीति में प्रतिकर देगा, जो नियत की जाय।

(2) जिस दिनांक को खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति {या राज्य सरकार}⁵ प्रदिष्ट चक या भूमियों पर कब्जा करने की हकदार हो गई हो, (चाहे ऐसा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1962 के प्रचलित होने के पूर्व हो या उसके पश्चात्) उसके छः मास समाप्त हो जाने पर या उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से छः मास समाप्त होने पर, जो भी दिनांक बाद में पड़े, यथास्ति, खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति {या राज्य सरकार}⁵ के सम्बन्ध में, जब तब कब्जा पहले ही न कर लिया गया हो, यह समझा जायगा कि उसने प्रदिष्ट चक या भूमियों पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह तथ्य कि खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति {या राज्य सरकार}⁵ ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है जो उस व्यक्ति के, जिससे कब्जा संकामित किया गया समझा जाय, उपर्युक्त: छः मास की अवधि समाप्त हो जाने के दिनांक को ऐसे चक या भूमियों अथवा उनके भाग पर खड़ी फसल को पालने-पोषने और उसे एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा।¹

29— {(1) यदि धारा 28 के अधीन खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाय, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा, जिसे कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फसलों के सम्बन्ध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित(Determine) करेगा {X X X}³ }²

प्रतिकर

{(1-क) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, चकबन्दी अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।}⁴

(2) {X X X}³

(3) {X X X}³

{29-क— (1) जब कोई खातेदार जिससे इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की वसूली होना हो, तदर्थ नियत अवधि के भीतर प्रतिकर न दे तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति वसूली के लिये उपलब्ध किसी अन्य साधन के साथ-साथ कलेक्टर को ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से प्राप्त धनराशि सरकार को देय मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जाय।

प्रतिकर की वसूली

-
1. उ. प्र. अधिनियम सं 8, 1963 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उ. प्र. अधिनियम सं 13, 1955 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उ. प्र. अधिनियम सं 2, 1956 की धारा 15 (1) द्वारा निकाला गया।
 4. उ. प्र. अधिनियम सं 8, 1963 की धारा 28 द्वारा जोड़ी गई।
 5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 10 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 29कक-29ख}

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर [धारा 24 अथवा 28 के अधीन जैसी भी स्थिति हो]² कब्जा पाने के दिनांक से 3 महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा न किया गया हो, तो ऐसी धनराशि पर जो इस प्रकार अदा की गयी हो, 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जायेगा।¹

{29-कक— (1) यदि धारा 8-क के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अंशदान में भूमि दिये जाने के फलरूप खातेदार की मूल जोत का क्षेत्रफल कम हो जाय, तो उक्त जोत के लिये देय मालगुजारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उस अनुपात में कम कर दी जायेगी, जो अंशदान के रूप में दिये गये क्षेत्र का उक्त जोत के कुल क्षेत्रफल से हो और कम हुई मालगुजारी प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में दिखाई जायेगी।

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दिये जाने के कारण मालगुजारी में कमी

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई कमी से क्षुब्ध कोई खातेदार धारा 20 के अधीन प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर 1950 ई. के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मालगुजारी में कमी अवधारित किए जाने के लिये सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।³

{29-ख— (1) (क) प्रत्येक खातेदार को, जिसकी जोत का कोई भाग इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिया गया हो, इस प्रकार दी गई भूमि के लिये प्रतिकर दिया जायगा, जो धारा 29-कक के अधीन कम की गई मालगुजारी का —

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदारों द्वारा दी गई भूमि के लिये प्रतिकर

(एक) {अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर}⁵ की भूमि के विषय में चार गुना; और

(दो) {अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर}⁶ की भूमि के विषय में दो गुना होगा,

(ख) इस प्रकार दी गई भूमि के भीतर पड़ने वाले पेड़ों, कुओं तथा अन्य समन्ततियों के विषय में प्रतिकर की धनराशि धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) किसी खातेदार की देय प्रतिकर का भुगतान इस अधिनियम के अधीन किया सम्बन्धी व्यय को, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् नकदी में किया जायगा।

(3) जब कोई भूमि, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाय, किसी आसामी के कब्जे में हो, तो यथास्थिति, {अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर}⁷ को देय प्रतिकर में से उसका 5 प्रतिशत आसामी, को, उस भूमि में उसके अधिकार, आगम तथा स्वत्व के सम्बन्ध में दिया जायगा।⁴

-
1. उ. प्र. अधिनियम सं. 24, 1956 की धारा 16 द्वारा जोड़ी गई।
 2. उ. प्र. अधिनियम सं. 38, 1958 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. उ.प्र. अधिनियम सं. 8, 1963 की धारा 29 द्वारा जोड़ी गई।
 4. उ.प्र. अधिनियम सं. 8, 1963 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
 5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 11 (क) (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
 6. उपर्युक्त की धारा 11 (क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
 7. उपर्युक्त की धारा 11 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 29ग-30}

29-ग— (1) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गयी भूमि, उस दिनांक से, जब खातेदार समय-समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुए हों, {किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 लागू होती हो, गांव सभा में और किसी अन्य क्षेत्र में, राज्य सरकार में}² निहित होगी और सदैव से निहित हुई समझी जायगी और उस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त होगी, जिसके लिये वह अंतिम चकबन्दी योजना में विनिर्दिष्ट की गई थी अथवा उक्त प्रयोजन के न रहने की दशा में ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होगी, जो नियत किये जायं।

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गयी भूमि का निहित होना

(2) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ {गांव सभा में निहित}³ ऐसी भूमि पर लागू होंगे मानों कि ऐसी भूमि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के आधार पर गांव सभा में निहित हो गई थी और मानों कि घोषणा इस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपयोगिता की शर्तों के अधीन रहते हुये की गई थी।

(3) {X X X}¹

{30— उस दिनांक से जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कोई खातेदार अपने को प्रदिष्ट चक पर कब्जा करे या उसके सम्बन्ध में यह समझा जाय कि उसने कब्जा कर लिया है, निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

वे परिणाम, जो कब्जा बदलने पर होंगे

(क) निम्नलिखित के अधिकार, आगमन, स्वत्व और दायित्व उनकी अपनी-अपनी मूल जोतों में समाप्त हो जायेंगे —

(एक) वह खातेदार, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाय कि उसने कब्जा कर लिया है, और

(दो) चक में सम्मिलित गाटों का पूर्ववर्ती खातेदार, और

(ख) उस खातेदार के, जो कब्जा करे या जिसके संबंध में यह समझा जाय कि उसके कब्जा कर लिया है, अपने चक में वहीं अधिकार आगम, स्वत्व और दायित्व हों जो उसकी अपनी मूल जोत में थे और उसे ऐसे निजी स्रोत से, जब तक कि वह स्रोत विद्यमान रहे, सिंचाई की वह अन्य सुविधायें भी प्राप्त रहेंगी, जो चक में सम्मिलित गाटों के पूर्ववर्ती खातेदार को उन गाटों के सम्बन्ध में प्राप्त थी;

(ग) उन भूमियों के सम्बन्ध में जो गांव सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हों और जो खातेदारों को प्रदिष्ट की गई हों, यह समझा जायगा कि वे राज्य सरकार द्वारा 1950 ई. को उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की यथास्थित धारा 117 या 117 क के उपबन्धों के अधीन वापस ले ली गई हैं और उनका बन्दोबस्त खातेदार के साथ कर दिया गया है;

(घ) धारा 19-क की धारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किये गये प्रख्यापन के बाद चक में सम्मिलित भूमि में या भूमि पर जन साधारण तथा सभी व्यक्ति विशेषों के अधिकार समाप्त हो जायेंगे और वे अन्तिम चकबन्दी योजना में इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट भूमि में सृजित हो जायेंगे; और

1. उ. प्र. अधिनियम संख्या 21, 1966 की धारा 3 (2) द्वारा निकाली गई।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 12 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 12 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित।

(ड) उस खातेदार की, जो कब्जा करे या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाय कि उसके कब्जा कर लिया है, मूल जोत पर भार, यदि कोई हो, चाहे वह पट्टा या बन्धक के रूप में हो या अन्य प्रकार हो, उस जोत के सम्बन्ध में समाप्त हो जायेगा और वह उन जोतों पर या उनके ऐसे भाग पर, हो जायेगा जो अन्तिम चकबन्दी योजना में उसे निर्दिष्ट किया जाय।¹

31— [X X X]²

[32— यू.पी. लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 और 1950 ई. के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, खातेदारों का अपनी जोतों में अधिकार, आगम, स्वतन्त्र, और दायित्वों का ऐसा संक्रमण, चाहे वह विनियम द्वारा हो या अन्य प्रकार से, जो उन्हें प्रभावित करने वाली अंतिम चकबन्दी योजना के कार्यान्वयन में अनतर्ग्रस्त हो, वैध होगा किसी खातेदार या अन्य व्यक्ति को ऐसे संक्रमण पर आपत्ति करने अथवा उसमें हस्तक्षेप का अधिकार न होगा।]³

खाता संक्रमित करने का अधिकार

33— [(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन संचालित क्रियाओं का व्यय निश्चित करेगी और कटक के खातेदारों से उसका ऐसा भाग और ऐसी रीति से बसूल करेगी, जो नियत की जाय।]⁴

व्यय

(2) यदि राज्य सरकार निर्णय करे, तो वह आज्ञा दे सकती है कि [उक्त क्रियाओं]⁵ के व्यय की प्रथम किसी के रूप में कोई निर्दिष्ट धनराशि नियत रीति से अग्रिम वसूल की जाय।

(3) इस धारा के अधीन व्यय रूप में देय धनराशि मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

34— [X X X]⁶

35— [X X X]⁶

36— [X X X]⁷

36-क— [X X X]⁷

अध्याय 5

प्रकीर्ण

37— [X X X]⁷

38— निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में चकबन्दी संचालक, उप-संचालक, चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी और सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे सब सामर्थ्य(power) अधिकार (rights) विशेषाधिकार (privileges) प्राप्त होंगे, जो किसी व्यवहार(action) में निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय को प्राप्त है :-

साक्षियों के उपस्थिति कराने तथा अन्य विषयों के अधिकार

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 32 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 33 द्वारा निकाली गई।
3. उ. प्र. अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 35 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 35 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 36 द्वारा निकाली गयी।
7. उ.प्र. अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 29 द्वारा निकाली गई।

(क) साक्षियों को उपस्थिति कराना और उनको शपथ देकर प्रतिज्ञान(affirmation) कराके या अन्य प्रकार से उनके ब्यान लेना और विदेशस्थ साक्षियों(witness abroad) का बयान लेने के लिये कमीशन या निवेदन-पत्र(letter of request) जारी करना,

(ख) किसी की कोई लेख्य (document) प्रस्तुत करने को बाध्य करना,

(ग) अपमान के लिये लोगों को दण्ड देना और किसी भी व्यवहार में साक्षियों को उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formal process) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उक्त प्रसर के ही बराबर समझा जायगा।

(2) {X X X}¹

39— (1) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुए चकबन्दी संचालक उपसंचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह ऐसे लेख पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जिसे इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या कर्तव्यों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझें।

लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायगा कि वह भारतीय दण्ड विधान की धारा 175 व 176 के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य है।

40— किसी चकबन्दी संचालक, उपसंचालक, चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह भारतीय दण्ड विधान की धारा 193 और 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिये न्यायिक कार्यवाही (judicial proceedings) है।

चाकबन्दी संचालक, उप संचालक, चकबन्दी, बंदो-बस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के सामने कार्यवाहियों का न्यायिक माना जाना

41— जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्य प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था न की गई हो, यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 9 तथा 10 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों पर लागू होंगे, जिनके अन्तर्गत अपील और आवेदन-पत्र भी है।

यू0पी0 लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का लागू किया जाना

{41-क— इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में जिसके अन्तर्गत कोई अपील या पुनरीक्षण भी है, प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र उसी रीति से और उन्हें अपेक्षाओं के अनुरूप दिये जायेंगे जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन कोई शपथ-पत्र दिया जाता है और उसका सत्यापन उक्त संहिता की धारा 193 के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा खंड (ग) के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।²

शपथ-पत्र

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 38, 1958 की धारा 30 (2) द्वारा निकाली गयी
2. उ. प्र. अधिनियम संख्या 31, सन् 1970 की धारा 2 द्वारा जोड़ी गई।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 42-45क}

42— {(1) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो।}⁵

अधिकारी और प्राधिकारी

(2) जिला उप संचालक, चकबन्दी ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो समय-समय पर चकबन्दी संचालक द्वारा जारी किये जायें, चकबन्दी लेखपालों, चकबन्दी कर्ताओं तथा उपधारा (1) के अधीन जिले के नियुक्त अन्य प्राधिकारियों के हल्कों का परिच्छेद कर सकता है।

{42-क— तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि चकबन्दी अधिकारी अथवा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को यह संतोष हो जाये कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन तैयार किये गये किसी लेख्य में कोई लिपिक या गणना सम्बन्धी भूल प्रत्यक्ष है, तो वह तो स्वतः या स्वत्व रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर शुद्ध कर देगा।}⁵

लिपिक तथा गणना सम्बन्धी भूलों की शुद्धि

43— {X X X}³

{44— राज्य सरकारी सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले निरोधों और प्रतिबंधों के अधीन—

प्रतिनिधान

(1) इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कोई अधिकार किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सौंप सकती है,

(2) इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन चकबन्दी संचालक उपसंचालक, चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी को प्रदान कर सकती है।}¹

{44-क— जब इस अधिनियम के अधीन अथवा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी को अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करना हो, तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग अथवा कर्तव्यों का पालन उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।}²

उच्चतर प्राधिकारी द्वारा न्यूनतर प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग

45— इस अधिनियम में उल्लिखित अधिकारी या उनका आज्ञाओं के अधीन कार्य करने वाले कोई व्यक्ति या उनमें से कोई एक इस अधिनियम के अधीन किसी कर्तव्य के पालन में भूमि पर प्रवेश कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, उस पर मापन(servey) के चिन्ह बना सकता है तथा उनकी सीमाओं का परिच्छेद कर सकता है और अन्य ऐसे सभी कार्य कर सकता है, जो उस कर्तव्य का उचित पालन करने के लिये आवश्यक हों।

मापन तथा परिच्छेद के प्रयोजनों के लिये भूमि पर प्रवेश करने के अधिकारियों के अधिकार

{45-क— (1) जो व्यक्ति, धारा 5 (ग) (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह किसी समर्थ न्यायालय द्वारा सिद्ध-दोष पाये जाने पर, ऐसे जुर्माने का भागी होगा, जो 1,000 रु० से अधिक न हो।

धारा 5 के उल्लंघन करने का दण्ड

(2) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात होते हुए भी धारा 5 (ग) (2) के उपबन्धों के प्रतिकूल संक्रमण वैध अथवा मान्य न होगा।}⁴

1. उ. प्र. अधिनियम सं. 38, 1958 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 37 द्वारा बढ़ायी गयी।
3. उपर्युक्त की धारा 38 द्वारा निकाली गयी।
4. उपर्युक्त की धारा 39 द्वारा बढ़ायी गयी।
5. उ. प्र. अधिनियम संख्या 8, सन् 1963 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 46—48}

46— (1) यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी मापन [या सीमा]⁶ के चिन्ह को बिना विधिक अधिकार के जान-बूझकर नष्ट करे या हानि पहुंचाये या हटाये, तो चकबंदी अधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी धनराशि के भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जो इस प्रकार से नष्ट किए गये, हानि पहुंचाये गये अथवा हटाये गये प्रत्येक चिन्ह के लिये [एक हजार रुपये]⁶ से अधिक न होगी और जो उस अधिकारी के मतानुसार उक्त चिन्ह को पूर्व दशा में लाने के व्यय को पूरा करने तथा उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने नष्ट किये जाने, हानि पहुंचाये जाने की सूचना दी हो, पारितोषिक देने के लिये आवश्यक हो।

मापन [या सीमा]⁵ के चिन्हों को नष्ट करने, हानि पहुंचाने अथवा हटाने के सम्बन्ध में दण्ड

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर दोनों के लिये दी गई कोई आज्ञा भारतीय दण्ड विधान की धारा 434 के अधीन अभियोजन में बाधक न होगी।

47— इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण (revision) के निमित्त आवेदन—पत्र प्रस्तुत न किया जा सकेगा, जब तक कि इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवस्था न की गई हो।

अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपीलें आदि

{48— (1) चकबन्दी संचालक, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गई किसी कार्यवाही का अभिलेख, उस कार्यवाही की नियमितता के विषय में या उस मामले अथवा कार्यवाही में उस प्राधिकारी द्वारा दी गई [अन्तर्वर्ती आज्ञा से भिन्न]⁴ किसी आज्ञा की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है और सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है, जो वह उचित समझे।

पुनरीक्षण और अभिदेश

(2) चकबन्दी संचालक द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग उपधारा (3) के अधीन अभिदेश किये जाने पर भी किया जा सकता है।

(3) चकबन्दी संचालक के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी, सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही के लिये चकबन्दी संचालक को अभिदिष्ट कर सकता है।¹

{स्पष्टीकरण [(1)]² इस धारा के प्रयोजनों के लिये बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता और चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी संचालक के अधीन होंगे।²

{स्पष्टीकरण— (2) इस धारा के प्रयोजनार्थ पद “अन्तर्वर्ती आज्ञा” का तात्पर्य किसी मामले या कार्यवाही के संबंध में ऐसे आदेश से है जो उस मामले या कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले या उसके संपार्श्विक किसी विषय को निर्णीत करते हुए भी उस मामले या कार्यवाही का अन्तिम रूप से निस्तारण करने का प्रभाव नहीं रखता है।³

-
1. उ० प्र० अधिनियम सं. 8 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 25 द्वारा बढ़ाया गया।
 3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 1982 की धारा 20 (2) द्वारा वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्याकित किया गया और नया स्पष्टीकरण (2) बढ़ाया गया।
 4. उ० प्र० अधिनियम सं. 20, 1982 की धारा 20 (1) द्वारा बढ़ाये गये।
 5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 13 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
 6. उपर्युक्त की धारा 13 (ख) द्वारा अन्तःस्थापित।

{48-क— (1) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी —

निष्क्रान्त सम्पत्ति के
सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

(क) एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकई प्रापटी ऐक्ट, 1950 के उपबन्धों के अधीन निष्क्रान्त सम्पत्ति के कस्टोडियन, (custodian of Evacuee Property) जिन्हें यहां पर आगे चलकर इस धारा में कस्टोडियन कहा गया है, में निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित किसी भूमि के आश्रय के सम्बन्ध में उसके निर्णय पर इस अधिनियम के अधीन कोई भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी न तो आक्षेप करेगा और न उसे परिवर्तित अथवा व्यक्तिकान्त (call in question very or reverse) करेगा और

(ख) इस अधिनियम में किसी बात का यह अर्थ न होगा, जिससे कस्टोडियन किसी भूमि के आगम के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही को जो उसके समक्ष इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के प्रचलित होने के दिनांक पर, जिसके अधीन भूमि के आगम के सम्बद्ध कार्यवाहियां रुकनी चाहिये, विचाराधीन हो, रोक सके अथवा जिससे चकबन्दी अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसे अधिकार प्राप्त हो जिसके अनुसार उक्त दिनांक पर कस्टोडियन के समक्ष विचाराधीन किसी कार्यवाही में अन्तर्गस्त (involved) भूमि के संबंध में आगम के प्रश्न को अवधारण के लिये अभिदिष्ट करे।

(2) जब चकबन्दी कियाओं के फलस्वरूप किसी गांव में —

(क) एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैकई प्रापटी ऐक्ट, 1950 के उपबन्धों के अधीन निष्क्रान्त सम्पत्ति (evacuee property) के रूप में कस्टोडियन में निहित भूमियां उन जोतों में सम्मिलित कर दी जायें जो कस्टोडियन में निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित न हों, तो ऐसी भूमि चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक से कस्टोडियन में इस प्रकार निहित न रहेगी और तत्पश्चात् उक्त ऐक्ट के उपबन्ध उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त न रहेंगे; और

(ख) ऐसी भूमियों के बदले में उसी प्रकार भूमियां इन जोतों में सम्मिलित कर दी जायेंगी, जो कस्टोडियन में निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप में निहित हो और ऐसी भूमियां चकबन्दी योजना के प्रचलन के दिनांक पर और उक्त दिनांक से उपर्युक्त ऐक्ट के तात्पर्य के अन्तर्गत प्रख्यापित निष्क्रान्त सम्पत्ति समझी जायेंगी और कस्टोडियन में निहित हो जायेंगी और तत्पश्चात् उक्त ऐक्ट के उपबन्ध यथासम्भव उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त होंगे।¹

{48-ख— (1) जब खातेदारों के बीच में जिनके अन्तर्गत मंडल की भूमि प्रबन्धक समिति भी है [X X X]³ धारा 48 के अधीन पारित आज्ञाओं के परिणामस्वरूप कब्जे का परिवर्तन आवश्यक हो जाय तो ऐसी आज्ञाओं के अनुसार उनके धारा आपस में कब्जे का विनिमय विधिपूर्ण होगा।

कब्जे का विनियम

(2) जब पारस्परिक समझोते द्वारा कब्जे का परिवर्तन न हो सके, तब सहायक चकबन्दी अधिकारी ऐसे खातेदारों तथा भूमि प्रबन्धक समिति को धारा 28 के उपबन्धों के अनुसार कब्जा दिलायेगा।²

1. उ.प्र. अधिनियम सं. 26, 1954 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ. प्र. अधिनियम सं. 38, 1958 की धारा 41 द्वारा बढ़ायी गयी।
3. उ.प्र. अधिनियम सं. 8 1963 की धारा 40 द्वारा निकाले गये।

{49— तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, उस क्षेत्र में पड़ती हो, जिसके लिये [धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन]⁷ [विज्ञप्ति]⁴ जारी कर दी गई हो, खातेदारों के अधिकारों का प्रख्यापन तथा निर्णय अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय जो चकबन्दी कार्यवाहियों से उत्पन्न हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और कोई दीवानी या माल न्यायालय उक्त भूमि में अधिकारों के अनुसार किया जायेगा और कोई दीवानी या माल न्यायालय उक्त भूमि में अधिकारों के सम्बन्ध में अथवा किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा :}]¹

दीवानी तथा माल न्यायालयों के अधिकक्षेत्र पर रोक

{किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी गांव सभा को कब्जा दिया गया हो, या दिया गया समझा जाय, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, की धारा 122-ख के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने से असिस्टेंट कलेक्टर को प्रवारित नहीं करेगी।}⁸

{49-क— कोर्ट भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक, कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये प्रस्तुत न की जा सकेगी, जो उक्त अधिनियम या तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन उसने सद्भावना से किया हो या उसको करना अभिप्रेत हो।}²

इस अधिनियम और तदधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के लिये सुरक्षा

{50— इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी वाद या कार्य वाहीं में दिये गये किसी प्रार्थना-पत्र पर या वकालतानामा के अतिरिक्त किसी लेख्य पर, जो दाखिल किया जाय, कोई न्याय शुल्क देय न होगा।}³

न्याय शुल्क से मुक्ति

{51— तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अन्तिम चकबन्दी योजना को कार्यान्वित करने में जोतों का जो संक्रमण होगा उसे पूरा करने के लिये न तो किसी लिखितकरण की आवश्यकता होगी और न ऐसा कारण निष्पादित किये जाने पर उसके रजिस्ट्री की आवश्यकता होगी।}⁵

संक्रमण के निष्पन्न करने के लिये कोई कारण आवश्यक नहीं है

52— (1) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नये नक्शे और अभिलेख तैयार होने के पश्चात, यथाशीघ्र, राज्य सरकार, गजट में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि कटक में चकबन्दी क्रियायें समाप्त कर दी गई हो और तदुपरान्त उक्त कटक के गांव चकबन्दी क्रियाओं के अधीन नहीं रहेंगे :

चकबन्दी क्रियाओं की समाप्ति

{किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किये जाने से, इस अधिनियम के अधीन क्रियाओं के व्यय को निश्चित करने, बांटने और वसूल करने के राज्य सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।}⁶

1. उ. प्र. अधिनियम सं. 38, 1958 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ. प्र. अधिनियम सं. 38 1958 की धारा 43 द्वारा बढ़ायी गयी।
3. उपर्युक्त की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ.प्र. अधिनियम सं. 8, 1963 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 43 द्वारा बढ़ायी गयी।
7. उ. प्र. अधिनियम सं. 12, 1965 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ. प्र. अधिनियम सं. 20, 1982 की धारा 21 द्वारा बढ़ाया गया।

{{(1-क) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति किसी ऐसे दैनिक समाचार-पत्र में भी, जिसका क्षेत्र में परिचलन हो और ऐसी अन्य रीति से, जैसी उचित समझी जाय, प्रकाशित की जायगी।}}³

{{(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, "भारत का संविधान" के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत की गई लेख-चायिकाओं के मामलों में या उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किये जाने के दिनांक को इस अधिनियम के अधीन विचाराधीन मामलों या कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई अज्ञायें ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो नियत किये जायं, कार्यान्वित की जायेंगी और इस प्रयोजन के लिये चकबन्दी क्रियाओं के विषय में यह समझा जायगा कि वे समाप्त नहीं हुई है।}}¹

{{(3) जहां धारा 23 के अधीन चकबन्दी योजना के अन्तिम हो जाने के पूर्व किसी भूमि के प्रदेशन या पट्टा का निरसन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 की उपधारा (4) के अधीन आदेश द्वारा किया जाता है और वह आदेश अनितम हो जाता है वहां इस अधिनियम के उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे आदेश को निम्नलिखित रीति से ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो नियत किये जायं, कार्यान्वित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये चकबन्दी क्रिया को समाप्त नहीं समझा जायगा, अर्थात्—

(क) ऐसे प्रदेशन या पट्टे की विषयगत भूमि के मूल्यांकन को नियत रीति से पहले सुनिश्चित किया जायेगा;

(ख) चकबन्दी कार्य में सम्बद्ध खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के कुल मूल्य में से खण्ड (क) में अभिदिष्ट मूल्यांकन को कम कर दिया जायगा;

(ग) चकबन्दी कार्यवाही के दौरान खातेदार उक्त भूमि के मूल्यांकन के बराबर भूमि का हकदार होगा।}}²

{52-क— (1) किसी ऐसे कटक की दशा में जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो, धारा 52 में दी गई किसी प्रतिकूल बात के हुये भी, कलेक्टर, यदि उसकी यह राय हो कि चक मार्गों या चक गूलों की कोई व्यवस्था नहीं है अथवा अपर्याप्त व्यवस्था है, तो उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही कर सकता है, और यदि उक्त प्रारम्भ होने के दिनांक से छः महीने के भीतर कुल खातेदारों में से कम से कम दस प्रतिशत द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन दिया जाय, तो उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही करेगा।

चक मार्गों तथा चल गूलों के लिये विशेष व्यवस्था

(2) कलेक्टर इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के प्रस्ताव की और उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन की भी, यदि कोई हो, सूचना कटन में डुग्गी पिटवाकर और ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, दिलवायेगा, और किसी चकबन्दी अधिकारी को उस क्षेत्र का निरीक्षण करने तथा खातेदारों की या उनमें से ऐसे व्यक्तियों की जो अभ्यावेदन में सम्मिलित न हों, इच्छाओं को सुनिश्चित करने के निमित्त युक्ति-युक्त कदम उठाने, और मामले में ऐसी अन्य जांच करने, जिसे वह उचित समझे, का निदेश देगा।

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या 8, 1963 की धारा 43 द्वारा बढ़ायी गयी।

2. उ.प्र. अधिनियम सं. 35, 1976 की धारा 32 द्वारा बढ़ायी गयी।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. 30 वर्ष 1991 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 52क}

(3) ऐसा चकबंदी अधिकारी कटक में चक मार्गों या चक गूलों की व्यवस्था करने या, जैसी भी दशा हो, और अधिक पर्याप्त व्यवस्था करने के लिये योजना बनाने या न बनाने के औचित्य के सम्बन्ध में कलेक्टर को रिपोर्ट देगा और कलेक्टर उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, योजना का एक प्रारूप तैयार करवायेगा।

(4) तदुपरान्त सहायक चकबन्दी अधिकारी कटक के उतने खातेदारों की, जितना वह व्यवहारगम्य सझे, इच्छा को अनौपचारिक रूप से सुनिश्चित करने के पश्चात् नियत प्रपत्र में योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा, जिसमें चकमार्गों या चकगूलों की व्यवस्था अथवा अतिरिक्त व्यवस्था, जैसी आवश्यक हो, करने का प्रस्ताव करेगा। योजना का प्रारूप तैयार करने में सहायक चकबंदी अधिकारी निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा अर्थात् —

(क) जहां तक व्यवहारगम्य हो, चकमार्गों और चकगूलों की व्यवस्था प्रथमतः गांव सभा में निहित भूमि का उपयोग करके और द्वितीयतः उन खातेदारों द्वारा धृत भूमि में से, जिनके चक प्रस्तावित चकमार्ग या चकगुल से सम्बन्धित हों, और अन्ततः किसी अन्य भूमि से की जानी चाहिये;

(ख) चकों का पुनर्व्यवस्थापन केवल उस सीमा तक, जहां तक वह चकमार्गों तथा चकगूलों की व्यवस्था करने के लिये वास्तविक रूप में आवश्यक हो, और पहले से ही पुष्टिकृत चकबन्दी योजना में कम से कम व्यक्ति कम किये बिना किया जाना चाहिये।

(5) उपधारा (4) के अधीन तैयार की गई योजना का प्रारूप कटक में नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

(6) योजना के प्रारूप से प्रभावित कोई व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी के पास लिखित रूप में आपत्ति कर सकता है।

(7) (क) चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगा;

(ख) खण्ड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा;

(ग) खण्ड (क) के अधीन आपत्तियों पर निर्णय देने के पूर्व चकबन्दी अधिकारी और खण्ड (ख) के अधीन अपील पर निर्णय देने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त स्थल का निरीक्षण कर सकता है;

(घ) खण्ड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी और खण्ड (ख) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिये उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उपधारा (4) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार योजना के प्रारूप में परिष्कार करना और बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिये उसे चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे निदेशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, प्रतिप्रेषित करना वैध होगा।

(8) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)

(क) यदि उपधारा (6) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय, या

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 53-54}

(ख) यदि ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत की जायं तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो उपधारा (7) के अधीन आपत्तियां तथा अपीलों पर दी गई आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो, योजना का पुष्टि कर देगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन पुष्टीकृत योजना कटक में नियत रीति से प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी और तदुपरान्त धारा 23 के अधीन अन्तिम रूप में बनी चकबन्दी योजना और दी गई प्रदेशन आज्ञाओं योजना में इंगित सीमा तक संशोधित हो जायेंगी और तदनुसार बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा नई प्रदेशन आज्ञायें जारी की जायेंगी।

(10) अध्याय 4 के उपबन्ध उक्त योजना के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के अन्तिम चकबन्दी योजना के संबंध में लागू होते हैं और अध्याय 4 को लागू किये जाने के प्रयोजनों के लिए, इस धारा के अधीन व्यवस्थित चक मार्गों और चकगूलों के लिये दी गई भूमि धारा 8 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दी गई भूमि समझी जायेगी।⁵

{53— बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के लिये यह वैध होगा कि वह चकबन्दी क्रियाओं किसी स्तर पर, किन्तु धारा 27 के अधीन अन्तिम अभिलेख तैयार हो जाने के पूर्व, खातेदारों के मध्य {समझौते द्वारा}² चकों या उनके किसी भाग के पारस्परिक विनियम की अनुमति दे, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त विनियम से चकों के आकर में सुधार हो जायेगा अथवा उसकी संख्या में कमी हो जायेगी और उन लोगों में सामान्यतया अपेक्षाकृत अधिक संतोष उत्पन्न होगा।

खातेदारों के मध्य चकों का पारस्परिक विनियम

53-क— (1) उपसंचालक, चकबन्दी किसी गांव के संबंध में, चाहे वह चकबन्दी क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, गांव के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गई किसी {चकबन्दी योजना}³ को मान्यता दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त योजना इस अधिनियम के अधीन चकबन्दी के सामान्य सिद्धान्तों के अनुकूल है तथा उसमें सम्बद्ध सभी खातेदारों का समर्थन प्राप्त है और वह सम्बन्धित व्यक्तियों के प्रति अन्यथा न्यायपूर्ण है।

खातेदारों द्वारा तैयार की गई {चकबन्दी योजना}³ को मान्यता

(2) उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्राप्त {चकबन्दी योजना}³, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार तथा पुष्ट की गई समझी जायगी, और उसके अधीन लागू की जायगी।

{53-ख — {परिसीमा अधिनियम, 1963}⁴ की धारा 5 के उपबन्ध इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों, अपीलों, पुनरीक्षणों तथा अन्य कार्यवाहियों पर लागू होंगे।¹

कालावधि

54— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये {गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है।⁶

नियम बनाने का अधिकार

1. उ. प्र. अधि. सं. 38, 1958 की धारा 46 द्वारा बढ़ायी गयी।
2. उ. प्र. अधि. सं. 8 सन्, 1963 की धारा 44 द्वारा जोड़ी गई।
3. उपर्युक्त की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ.प्र. अधि. सं. 4 सन् 1969 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ. प्र. अधि. सं. 31 सन्, 1970 की धारा 3 द्वारा जोड़ी गई।
6. उ. प्र. अधि. सं. 30 सन् 1975 की धारा 47 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 54}

(2) पूर्वाक्त अधिकार की व्याप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(क) {धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन}³ {विज्ञप्ति}² का आकार, बन्दी समिति के सदस्यों के कार्यकाल का अवधारण तथा उसमें रिक्ति होने पर की जाने वाली कार्यवाही,

(ग) धारा 5 के अधीन स्थगित वादों और कार्यवाहियों के निस्तारण की प्रक्रिया,

{(गग) चकबन्दी क्षेत्र में जोत के संक्रमण के लिये धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में अभिदिष्ट अनुज्ञा देने के लिये बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्त;}⁴

{(घ) पुनरीक्षण, जिसके अन्तर्गत अधिकारी का प्राख्यापन, संयुक्त जोतों का विभाजन, गाटों का मूल्यांकन, कुओं पेड़ों तथा अन्य समुन्नतियों के प्रतिकर का अवधारण तथा अभिभाजन भी है, सम सम्बद्ध प्रिया और सिद्धांतों के विवरण की तैयारी तथा प्रकाशन;}²

(ड.) नये खातों पर मालगुजारी का अवधारण और धारा 12 के अधीन उसका पुरानी जोतों के भागों पर वितरण,

{(च) धारा 12-घ के अधीन जोतों के संयोजन की प्रक्रिया,

(छ) धारा 19-क , 21 और 23 के अधीन चकबन्दी योजना तैयार करने, उसे प्रकाशित करने और उसकी पृष्टि करने की प्रक्रिया और रीति,

(ज) धारा 23 के अधीन प्रदेशन आज्ञायें जारी करने की प्रक्रिया और रीति,]¹

(झ) एतदर्थ निर्दिष्ट प्रयोजनों पर चकबन्दी समिति के विचार प्राप्त करने की प्रक्रिया और रीति,

(ञ) उस सार्वजनिक प्रयोजन का अवधारण, जिसके निमित्त क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जाये और रीति, जिसमें यह किया जाये,

(ट) सार्वजनिक भूमि में उस भूमि में जो सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त विनिर्दिष्ट की गई हो, अधिकारों के संक्रमण से सम्बद्ध विषय,

(ठ) धारा 24 और 28 के अधीन कब्जा लेने की प्रक्रिया,

(ड) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को दिये जाने वाले या उसके वसूल किये जाने वाले प्रतिकर के अवधारण की प्रक्रिया और रीति,

(ढ) चकबन्दी व्यय के, जिसके अन्तर्गत वह अनुपात भी है, सिके अनुसार उसका वितरण किया जा सकता है, वितरण करने के सम्बन्ध में विचार की जाने वाली परिस्थितियां और विषय;

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 38 वर्ष 1958 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ.प्र. अधिनियम संख्या 8 सन् 1963 की धारा 46 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ.प्र. अधिनियम संख्या 12 सन् 1965 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ.प्र. अधिनियम संख्या 35 सन् 1976 की धारा 33 द्वारा जोड़ा गया और सदैव से जोड़ा गया समझा जायेगा।

{उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953}

{धारा 54}

(ण) इस अधिनियम के अधीन किसी नोटिस या किसी लेख्य के तालीम किये जाने की रीति से सम्बद्ध विषय,

(त) इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत प्रार्थना पत्र और अपीलें भी हैं, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(थ) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रत्येक अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली क्रिया,

(द) उन मामलों में, जिनमें यहां पर तत्सम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इन अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र और अपीलों के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि,

(ध) किसी अधिकारी को निश्चित काल सीमाओं के बढ़ाने का अधिकार देते हुये अथवा न देते हुये काल संबंधी सीमाओं का निश्चय, जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के निमित्त कार्य अवश्य किये जाने चाहिये,

(न) किसी प्राधिकारी या अधिकारी के पास से दूसरे को कार्यवाहियों का संक्रमण, और

(प) अन्य कोई विषय, जो नियत हो या नियत नियत किया जाय।

{(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हों, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायें और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में, प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बन्ध में नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।}

¹

THE UTTAR PRADESH CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1953¹

[U. P. Act No. V of 1954]

Amended by the-

U. P. Act No 26 of 1954

U. P. Act No. 13 of 1955

U. P. Act No. 20 of 1955

U. P. Act No. 24 of 1956

U. P. Act No. 16 of 1957

U. P. Act No. 38 of 1958

U. P. Act No. 33 of 1961

U. P. Act No. 8 of 1963

U. P. Act No. 12 of 1965

U. P. Act N9. 21 of 1966

President's Act No. 18 of 1968

U.P. Act No 4 of 1969

U. P. Act No. 31 of 1970

U. P. Act No. 34 of 1971

U. P. Act No. 30 of 1975

U. P. Act No. 35 of 1976

U. P. Act No 6 of 1978

U. P. Act No. 20 of 1982

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 2, 1953, and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 20, 1953.]

Received the assent of the President on March 4, 1954 under Article 201 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated March 8, 1954.]

AN

ACT

to provide the consolidation of agricultural holdings in Uttar Pradesh for the development of agriculture.

Whereas it is expedient to provide for consolidation of agricultural holdings in Uttar Pradesh for the development of agriculture,

It is hereby enacted as follows.-

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title,
extent and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953.
- (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

1. For Statement of Objects and Reasons see U. P. Gazette Extraordinary, dated March 7, 1953.

- (3) This section shall come into force at once and the remainder of the Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint in this behalf and different dates may be appointed for different parts of Uttar Pradesh.

Repeal U.P. act 2.
VIII of 1939

The U. P. Consolidation of Holdings Act, 1939 is hereby repealed.

Definitions

3. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (1) "Assistant Consolidation Officer" means a person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties of an Assistant Consolidation Officer under this Act or the rules made thereunder [and shall include an Assistant Rectangulation Officer,]¹

[(1-A) "Chak" means the parcel of land allotted to a tenure holder on consolidation,]²

[(2) "Consolidation" means re-arrangement of holdings in a unit amongst several tenure-holders in such a way as to make their respective holdings more compact,

Explanation- For the purposes of this clause, holding shall not include the following : --

- (1) land which was grove in the agricultural year immediately preceding the year in which the notification under section 4 was issued;
- (2) land subject to fluvial action and intensive soil erosion;
- (3) land mentioned in section 132 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 ;
- (4) such compact areas as are normally subject to prolonged water-Jogging;
- (5) usar, kallar, and rihala plots forming a compact area including cultivated land within such area;
- (6) land, in use for growing pan, rose, bela, jasmine and kewra ; and
- (7) such other areas as the Director of Consolidation may declare to be unsuitable for the purpose of consolidation ;]³

[(2-A) "Consolidation area" means the area, in respect of which a notification under section 4 has been issued, except such portion there of to which the provisions of the U, P, Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 [or any other Law by which Zamindari System has been abolished]⁵ do not apply ;]⁴

1. Added by section 2 (1) of U. P. Act No. 8 of 1963.

2. Added by section 2 (2) *ibid*.

3. Subs by s. 2 (2) of U.P. Act 38 of 1958.

4. Add. By s. 2 (3) *ibid*.

5. Ins. by section 3 (a) of U.P. Act No. 30 of 1991.

manner prescribed for the purposes of the Act;]¹

[(2- B) "Consolidation Lekhpal" means a person appointed as such by the State Government to perform the duties of a Consolidation Lekhpal under this Act or the rules made thereunder and shall, in areas under consolidation operations, include a Lekhpal appointed under the U. P. Land Revenue Act, 1901 ;]²

[(3) "Consolidation Officer" means a person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform, the duties of a Consolidation Officer under this Act or the rules made thereunder (and shall include a Rectangulation Officer;)⁴]³

[(3-A)"Consolidator means a person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties of a consolidator under the Act or the rules made thereunder]⁶, and shall include a Rectangulator and also, in areas under consolidation operations, the Supervisor Kanungo appointed under the U. P. Land Revenue Act, 1901 for that area ;]⁵

[(3-B) "Consolidation scheme" means the scheme of consolidation in a unit ;]⁷

[(4) "Director of Consolidation" means the person appointed as such by the State Government to exercise the powers and perform the duties of the Director of Consolidation under this Act or the rules made thereunder and shall include an additional Director of Consolidation and a Joint Director of Consolidation;]⁸

[(4-A) "Deputy Director of Consolidation" means a person appointed as such by the State Government to exercise such powers and perform such duties of the Director of Consolidation as may be delegated to him by the State Government and shall include a District Deputy Director of Consolidation and Assistant Director of Consolidation;

(4-B) "District Deputy Director of Consolidation" means a person who is for the time being the Collector of the District;

(4-C) "Holding" means parcel or parcels of land held under one tenure by a tenure-holder singly or jointly with other tenure- holders.]⁹

(5) "land" means land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture and animal husbandry (including pisciculture and poultry farming) and includes:

-
- 1- Subs by section 2 (4) of U.P. Act 38 of 1958.
 - 2- Subs. by section 2 (5) *ibid*.
 - 3- Add by section 2(6) *ibid*.
 - 4- Ins. by section 2 (3) of U.P. Act 8 of 1963.
 - 5- Subs by section 2 (7) of U.P. Act 38 of 1958.
 - 6- Ins. by section 2 (4) of U.P. Act 8 of 1963.
 - 7- Add. By section 2 (5) *ibid*.
 - 8- Subs by section 2 (8) of U.P. Act 38 of 1958.
 - 9- Add by section 2 (9) *ibid*.

- (i) the site, being a part of holding of a house or other similar structure;
and

- (ii) trees, wells and other improvements existing on the plots forming the holding ;]¹
- (6) "Legal representative" has the meaning assigned to it in the Code of Civil Procedure, 1908 ;
- (7) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- [(8) "Publication in the unit" or "publish in the unit" with reference to any document means reading out the document in the unit on a date of which prior notice shall be given by beat of drum, and proclamation by beat of drum, or, in any other customary mode, in the unit of the fact that the document is open to public inspection at any appointed place and time;
- Provided that where a Consolidation Committee has been constituted for the unit each member of the said Committee shall also be individually informed of the fact of publication;]²
- [(8-A) "Rectangulation" means the process of dividing the area of a unit into rectangles and parts of rectangles of convenient size with a view to regulating the allotment of chaks during consolidation;]³
- [(9) "Settlement Officer Consolidation" means a person appointed as such by State Government to exercise the powers and perform the duties of a Settlement Officer, Consolidation under this Act and the rules made thereunder and shall include any Additional Settlement Officer, Consolidation and Assistant Settlement Officer, Consolidation;]⁴
- (10) "State Government" means Government of Uttar Pradesh;
- [(11) "Tenure-holder" means a [bhumidhar with transferable rights or bhumidhar with non-transferable rights]⁷ and includes :--
- (a) an asami,
- (b) a Government lessee or Government grantee, or
- (c) a co-operative farming society satisfying such conditions as may be prescribed;]⁵
- [11-A) "Unit" means village or part thereof, and where the Director of Consolidation so notifies by publication in the official Gazette, two or more villages or parts thereof or which a single scheme of consolidation is to be framed;]⁶

-
1. Subs. by section 2 (6) of U. P. Act. 8 of 1963.
 2. Subs. by section 2 (11) of U. P. Act. 38 of 1958.
 3. Add. by section 2 (7) of U. P. Act. 8 of 1963.
 4. Subs. by section 2 (12) of U. P. Act. 38 of 1958.
 5. Subs. by section 44 (1) of U. P. Act. 12 of 1965.
 6. Added by s. 2 (14) of U.P. Act 38 of 1958.
 7. Subs. by section 3 (b) of U.P. Act No. 30 of 1991.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 4]

(12) Words and expressions-

- (a) not defined in this Act but [used or]¹ defined in the U. P. Land Revenue Act, 1901, or

(b) not defined in this Act or in the U. P. Land Revenue Act, 1901 [but used or defined in the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950;]²

shall have the meanings assigned to them in the Act in which they are so [used or]¹ defined; [and

(13) The references to the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and the U. P. Land Revenue Act 1901, shall be construed as references to the said Acts as amended from time to time.]³

CHAPTER II

REVISION AND CORRECTION OF MAPS AND RECORDS

Declaration and
notification
regarding
consolidation

4. [(1) (a) The State Government may where it is of opinion that a district or part thereof may be brought under consolidation operations, make a declaration to that effect in the Gazette, whereupon it shall become lawful for any officer or authority who may be empowered in this behalf by the District Deputy Director of Consolidation -
 - (i) to enter upon and survey, in connection with rectangulation or otherwise and to take levels of any land in such area ;
 - (ii) to fix pillars in connection with rectangulation; and
 - (iii) to do all acts necessary to ascertain the suitability of the area for consolidation operations;
- (b) The District Deputy Director of Consolidation shall cause public notice of the declaration issued under clause (a) to be given at convenient places in the said district or part thereof.
- (2) (a) when the State Government decides to start consolidation operations, either in an area covered by a declaration issued under sub-section (1) or in any other area, it may issue a notification to this effect.]⁴
 - [(b) every such notification shall be published in the Gazette and in a daily newspaper having circulation in the said area and shall also be published in each unit in the said area in such manner as may be considered appropriate.]⁵

1. Added by s. 2 (15) of U.P. Act 38 of 1958.

2. Ins. by s. 2 (15-2) *ibid*.

3. Ins. by s 44 (2) of U. P. Act 12 of 1965.

4. Subs. by s. 3 of U. P. Act 8 of 1963.

5. Subs. by section 4 of U.P. Act No. 30 of 1991.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 5]

[4-A. (1) Where the State Government is of opinion that : in the case of a district or part thereof in respect of which a notification has already been issued under section 52, it is expedient in public interest so to do, it may make a declaration by notification in the Gazette that the such district or part thereof may again be brought under consolidation operation :

[Provided that no such declaration shall be issued within twenty years from the date of the notification referred to in the said section, but in

special circumstances the State Government may, in public interest, issue such declaration after ten years from the said date.]⁵

- (2) The provisions of this Act shall mutatis mutandis apply to every notification issued under sub-section (1) as they apply to a notification under section 4.]¹

²[Effect of [notification under section 4(2)]³

5. (1) Upon the publication of the notification [under sub-section (2) of section 4]³ in the official Gazette, the consequences, as hereinafter set forth, shall subject to the provisions of this Act, from the date specified thereunder till the publication of notification under section 52 or sub-section (1) of section 6, as the case may be, ensue in the area to which the [notification under sub-section (2) of section 4]³ relates, namely-

(a) the district or part thereof, as the case may be, shall be deemed to be under consolidation operations and the duty of maintain the record-of-rights and preparing the village map the field book and the annual register of each village shall be performed by the District Deputy Director of Consolidation, who shall maintain Or prepare them, as the case may be, in the manner prescribed;

(b) [* * *]⁴

(c) notwithstanding anything contained in the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, no tenure-holder except with the permission in writing of the Settlement Officer, Consolidation, previously obtained shall-

(i) use his holding or any part thereof for purposes not connected with agriculture, horticulture or animal husbandry including pisciculture and poultry farming. ; or

(ii) [***]⁶

Provided that a tenure-holder may continue to use his holding, or any part thereof for any purpose far which it was in used prior to the date specified in the notification issued [under sub-section (2) of section 4.]³

- [(2) Upon the said publication of the notification under sub- section (2) of section 4 the following further consequences shall ensue in the area to which the notification relates, namely-

-
1. Add. by section 30 of U. P. Act 35 of 1976:
 2. Subs. by section 4 of U. P. Act 38 of 1958.
 3. Subs. by s. 45 of U. P. 12 of 1965.
 4. Omit. by s. 2 (i) of U. P. Act 21 of 1966.
 - 5- Subs by section 21 (1) of U. P. Act 34 of 1974.
 6. Omitted by section 5 of U.P. Act No. 30 of 1991.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 6-6A]

(a) every proceeding for the correction of records and every suit and proceeding in respect of declaration of rights or interest in any land lying in the area, or for declaration or adjudication of any other right in regard to which proceedings can or ought to be taken under this Act pending before any court or authority whether of the first instance or of appeal, reference or revision shall on an order being passed in that behalf by the court or authority before whom such suit or proceeding is pending, stand abated :

Provided that no such order shall be passed without giving to

the parties notice by post or in any other manner and after giving them an opportunity of being heard :

Provided further that on the issue of the notification under sub-section (1) of section 6, in respect of the said area or part thereof every such order in relation to the land lying in such area or part, as the case may be, shall stand vacated ;

- (b) such abatement shall be without prejudice to the rights of the persons affected to agitate the right or interest in dispute in the said suits or proceedings before the appropriate consolidation authorities under and in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.]¹

[Explanation]- For the purposes of sub-section (2), a proceeding under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 or an uncontested proceeding under sections 134 to 137 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall not be deemed to be a proceeding in respect of declaration of rights or interest in any land.]²

Cancellation of [notification]³ under section 4 6. (1) It shall be lawful for the State Government at any time to cancel the [notification]³ made under section 4 in respect of the whole or part of the area specified therein.

[(2) Where a [notification]³ has been cancelled in respect of any unit under sub section (1), such area shall subject to the final orders relating to the correction of land records, if any, passed on or before the date of such cancellation, cease to be under consolidation operation with effect from the date of the cancellation.]⁴

[6-A (1) After the publication of notification under sub-section (2) of section 4 or section 4-A and before start of the proceeding under section 8, a case of undisputed mutation on the basis of succession shall be disposed of by a Consolidation Officer and on the basis of a transfer shall be disposed of by the Assistant Consolidation Officer, in such manner and after making such inquiry as may be prescribed :

Provided that no case shall be entertained, continued or disposed of under this section after start of the proceeding under section 8.

-
1. Added by section 2 (ii) of U. P. Act 21 of 1966.
 2. Subs. by section 31 of U. P. Act 35 of 1976 and shall be deemed always to have been substituted.
 3. Subs. by section 4 of U. P. Act No. 8 of 1963.
 4. Subs. by sec. 5 of U. P. Act No. 38 of 1958.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 7-8A]

(2) An order made under sub-section (1) shall not be a bar to an objection under section 9.]⁴

Revision of village map 7. With a view to facilities the revision of records of each village or part thereof in the unit and subject to the provisions hereinafter contained the District Deputy Director of Consolidation shall, before [the provisional consolidation scheme]² for a unit is prepared, cause to revise the village maps of such unit.

[Revision of the field-book and the current 8. (1) Upon the revision of maps under section 7, the District Deputy Direct or of Consolidation shall, subject to the provisions herein-after contained, and in such

annual register, determination of valuations and shares in joint holding

manner as may be prescribed, cause to be-

- (i) revised, the field-book of the unit after field to field partial and the current annual register after its test and verification ;
 - (ii) determined, in consultation with the Consolidation Committee, the valuation of- --
 - (a) each plots after taking into consolidation its productivity location and availability of irrigation facilities if any ; and
 - (b) all trees, wells and other improvements existing in the plots for the purpose of calculating compensation therefore ;
 - (iii) ascertained the share of each owner, if there be more owners than one, out of the valuation determined under sub- clause (b) of clause (ii) ; and
 - (iv) determined the shares of individual tenure-holders in joint holdings for the purpose of effecting partition to ensure proper consolidation.
- (2) The District Deputy Director of Consolidation shall cause to be prepared a "khasra chakbandi" in the form prescribed, in respect of all the plots fallen, in the unit as also a statement showing the mistakes [undisputed cases of succession]³ and disputes discovered during the test and verification of the annual register in the course of the field to field partial.]¹

[Preparation of Statement of Principles

- 8-A (1) The Assistant Consolidation Officer shall, in consultation with Consolidation Committee, prepare in respect of each unit under consolidation operations, a statement in the prescribed form (hereinafter called the Statement of Principles) setting forth the principles to be followed in carrying out the consolidation operations in the unit.
- (2) The Statement of Principles shall also contain-
- (a) details of areas, as far as they can be determined at this stage, to be earmarked for extension of abadi Including areas for abadi site for Harijans and landless persons in the unit and for such other public purposes as may be prescribed;

-
1. Added by section 5 of U. P. Act No. 8 of 1963.
 2. Subs. by section 6 of U. P. Act No. 8 of 1963.
 3. Ins. by section 6 of U.P. Act No. 30 of 1991.
 4. Added by section 2 of Uttarakhand Act No. 02 of 2005.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 9]

- (b) the basis on which the tenure-holders will contribute land for extension of abadi and for other public purposes; and
 - (c) details of land to be earmarked for public purposes out of land vested in a Gaon Sabha or a Local Authority under section 117 or section 117-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Lad Reforms Act, 1950.]¹
 - [(d) the standard plots for each unit.]³
- [(3) The standard plots referred to in clause (d) of sub-section (2) shall be determined by the Assistant Consolidation Officer after ascertaining from the members of the Consolidation Committee and the tenure-holders of the units the best plot or plots of the unit, regard being had to productivity,

location and the existing soil class of the plot or plots.]⁴

[Issue of extracts from records and statements and publication of the records mentioned in sections 8 and 8-A and the issue of notices for inviting objections

9. (1) Upon the preparation of the records and the statements mentioned in section 8 and 8-A, the Assistant Consolidation Officer, shall-
 - (a) correct the clerical mistakes, [undisputed cases of succession]⁵ if any, and send or cause to be sent to the tenure-holder concerned and other persons interested, notices containing relevant extracts from the current annual register and such other record as may be prescribed showing-
 - (i) their rights in and liabilities in relation to the land;
 - (ii) mistakes [undisputed cases of succession]⁵ and disputes discovered under section 8 in respect thereof;
 - (iii) specific shares of individual tenure-holder in joint holdings for the purpose of effecting partitions, where necessary, to ensure proper consolidation;
 - (iv) valuations of the plots ; and
 - (v) valuation of trees, wells and other improvements for calculating compensation there or and its Apportionment amongst owners, if there be more owners than one;
 - (b) publish in the unit the current Khasra and the current annual register, the Khasra Chakbandi, the Statement of Principles prepared under section 8-A and any other records that may be prescribed to show, inter alia, the particulars referred to in clause (a),
- (2) Any person to whom a notice under sub-section (1) has been sent, or any other person interested, may, within twenty-one days of the receipt of notice, or of the publication under sub-section (1), as the case may be, file before the Assistant Consolidation Officer objections in respect thereof disputing the correctness or nature of the entries in the records or in the extracts furnished therefrom, or in the Statement of Principles, or the need for partition.]²

-
1. Added by section 7 of U. P. Act No. 8 of 1963.
 2. Subs. by section 8 *ibid*.
 3. Added by s. 9 (ii) of U. P. Act No. 6 of 1978.
 4. Added by section 9 (ii) *ibid*.
 5. Ins. by section 7 of U.P. Act No. 30 of 1991.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 9A-9C]

[Disposal of cases relating to claims to land and partition of joint holdings

- 9-A (1) The Assistant Consolidation Officer shall-
 - (i) where objections in respect of claims to and or partition of joint holdings are filed, after hearing the parties concerned; and
 - (ii) where no objections are filed, after making such enquiry as he may deem necessary, settle the disputes, correct the mistakes and effect partition as far as may be by conciliation between the parties appearing before him and pass orders on the basis of such conciliation :

[Provided that where the Assistant Consolidation Officer, after making such enquiry as he may deem necessary, is satisfied that a case of succession is undisputed, he shall dispose of the case on the basis of such enquiry.]²
- (2) All cases which are not disposed of by the Assistant Consolidation Officer under sub-section (1), all cases relating to valuation of plots and all cases relating to valuation of trees, wells or other improvements for calculating

compensation therefore, and its appointment amongst, co-owners, if there be more owners than one, shall be forwarded by the Assistant Consolidation Officer to the Consolidation Officer, who shall dispose of the same in the manner prescribed.

- (3) The Assistant Consolidation Officer, while acting under sub-section (1) and the Consolidation Officer while acting under sub-section (2), shall be deemed to be a court of Competent jurisdiction anything to the contrary contained any other law for the time being in force notwithstanding.

Disposal of objections on the Statement of Principles

- 9-B (1) Where objections have been filed against the Statement of Principles under section 9, the Assistant Consolidation Officer shall after affording opportunity of being heard to the parties concerned and after taking into consideration the views of the Consolidation Committee, submit his report to the Consolidation Officer who shall dispose of the objections in the manner prescribed.
- (2) Where no objections have been filed against the Statement of Principles within the time provided therefor under section 9, the Consolidation Officer shall, with a view to examining the correctness, make local inspection of the unit, after giving due notice to the Consolidation Committee and may thereafter make such modification or alterations in the Statement of Principles as he may consider necessary.
- (3) Any person aggrieved by an order of the Consolidation Officer under sub-section (1), or sub-section (2), may, within 21 days of the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, whose decision except as otherwise provided by or under this Act shall be final.
- (4) The Consolidation Officer and the Settlement Officer, Consolidation shall before deciding an objection or an appeal, make local inspection of the unit after giving due notice to the parties concerned and the Consolidation Committee.

Partition of joint-holdings

- 9-C (1) The Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer may partition joint holdings under section 9-A notwithstanding anything to the contrary contained in 178 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or any other law, and may also partition the same *suo moto*,

1. Ins. by section 8 of U. P. Act No. 8 of 1963.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 10-11B]

- (2) The partition of joint holdings shall be effected on the basis of shares,

Provided that where the tenure-holders concerned agree, it may be effected on the basis of specific plots.]⁶

[Preparation and maintenance of revised Annual Registers

10. (1) The Annual Register shall be revised on the basis of the orders passed under sub-section (1) and sub-section (2) of section 9-A. It shall thereafter be prepared in the form prescribed and published in the unit.
- (2) Where any entry in the annual register, published under sub-section (1), is modified in pursuance of an order passed under this Act or under any other law, a reference to the order along with an extract of its operative portion shall be noted against the said entry.]²

10-A

[X X X]¹

10-B [X X X]¹

[Appeals

11. (1) Any party to the proceedings under section 9-A, aggrieved by an order of the Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer under that section, may, within 21 days of the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, who shall, after affording opportunity of being heard to the parties concerned, give his decision thereon which, except as otherwise provided by or order under this Act, shall be final and not be questioned in any court of law.
- (2) The Settlement Officer, Consolidation, hearing an appeal under sub-section (1) shall be deemed to be a court of competent jurisdiction, anything to the contrary contained in any law for the time being in force notwithstanding.]³

Bar on
objections

- 11-A No question in respect of relating to the consolidation area [which has been raised under section 9 or which might or ought to have been raised under that section,]⁷ but has not been so raised shall be raised or heard at any subsequent stage of the consolidation proceedings :-
- (i) claims to land,
- (ii) partition of joint-holdings, and
- (iii) valuation of plots, trees, wells and other improve merits, where the question is sought to be raised by a tenure-holder of the plot or the owner of the tree, well or other improvements recorded in the annual register under section 10.]⁴

11-B [X X X]⁵

-
1. Omitted by section 6 of U.P. Act No. 30 of 1958
 2. Subs. by s. 10 of U. P. Act No. 8 of 1963.
 3. Subs. by section 11 of U. P. Act No. 8 of 1983.
 4. Subs by section 12 of U. P. Act No. 8 of 1963.
 5. Del. by section 13 of U. P. Act 8 of 1963.
 6. Added by section 9 ibid.
 7. Subs. by section 24 of U. P. Act No. 4 of 1969.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]
12D]

[Section 11C-

- [11-C In course of hearing of an objection under section 9-A or an appeal under section 11 or in proceedings, under section 48, the Consolidation Officer, the Settlement Officer (Consolidation) or the Director of consolidation, as the case may be, may direct that any land which vests in the State Government or the Gaon Sabha or any other local body or authority may be recorded in its name, even though no objection, appeal or revision has been filed by such Government, Gaon Sabha, body or authority.]⁶

[Decision of
matters
relating to
changes and
transactions
affecting
rights or

12. (1) All matters relating to changes and transfers affecting any of the rights or interest recorded in the revised records published under sub-section (1) of section 10 for which a cause of action had not arisen when proceedings under sections 7 to 9 were started or were in progress may be raised before the Assistant Consolidation Officer as and when they arise, but not later than the date of notification under section 52, or under sub-section (1) of section 6.

interests recorded in revised records (2) The provisions of sections 7 to 11 shall, *mutatis mutandis*, apply to the hearing and decision of any matter raised under sub-section (1) as if it were a matter raised under the aforesaid section.]²

[Assessment of land revenue on new holdings and distribution of revenue on parts of holdings 12-A (1) Notwithstanding anything contained in U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the Settlement, Officer, Consolidation, may subject to the, rules made in this behalf-

(a) determine the amount of land revenue payable by a tenure-holder on land on which he acquires rights as a result or orders under [***]³ this Act, and

(b) where necessary, also determine the amount of land revenue payable in respect of a portion of the tenure-holders holding .

(2) In assessing the amount of land revenue payable under sub-section (1), the provisions of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and the rules made thereunder shall *mutatis mutandis* apply.]¹

12-B [* * * *]⁴

12-C [* * * *]⁴

[Amalgamation of holdings 12-D Two or more tenure-holders may at any time before the publication of the revised annual register under sub-section (1) of section 10, apply to the Consolidation Officer to amalgamate their holdings of like tenure on such terms as may be agreed upon between them. The Consolidation Officer may, if the proposed amalgamation is in the interest of consolidation give effect to the same.]⁵

-
1. Add. by section 22 of U. P. Act No. 34 of 1974.
 2. Subs. by section 14 of U. P. 8 of 1963.
 3. Omit by section 15 of U. P. Act 8 of 1963.
 4. Deleted by section 16 *ibid*.
 5. Subs. by section 17 *ibid*.
 6. Added by section 22 of U. P. Act No. 34 of 1974.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 13-19]

Chapter III

PREPARATION OF CONSOLIDATION SCHEME

13. [* * * *]¹

13-A. [* * * *]¹

13-B. [* * * *]¹

13-C. [* * * *]¹

13-D. [* * * *]¹

14. [* * * *]²

15. [* * * *]³

16. [* * * *]²

16-A. [* * * *]¹

- 16-B. [* * * *]¹
17. [* * * *]²
18. [* * * *]²

[Consolidations
to be fulfilled
by a
consolidation
scheme

19. A consolidation scheme shall fulfil the following conditions namely- --
- (a) the rights and liabilities of a tenure-holder, as recorded in the annual register prepared under section 10, are subject to the deductions, if any, made on account of contributions to public purposes under this Act, secured in the lands allotted to him .
 - (b) the valuation of plots allotted to a tenure-holder subject to deductions, if any, made on account of contribution to public purposes under this Act, is equal to the valuation of plots originally held by him :

Provided that except with the permission of the Director of Consolidation, the area of the holding or holdings allotted to a tenure-holder shall not differ from the area of his original holding or holdings by more than twenty five percent of the latter;

- (c) the compensation determined under the provisions of this Act, or the rules framed thereunder, is awarded-
 - (1) To the tenure-holder-s-
 - (i) for trees, wells other improvements, originally held by him and allotted to another tenure-holder and,
 - (ii) for land contributed by him for public purposes;

-
1. Omit by section 18 of U. P. Act 8 of 1963.
 2. Deleted by section 11 of U. P. Act 38 of 1958.
 3. Deleted by section 13 ibid.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 19A-20]

- (2) To the Gaon Sabha, or any other local authority, as the case may be, for development, if any, effected by it in or over land belonging to it and allotted to a tenure-holder ;
- (d) the principles laid down in the Statement of Principles are followed ;
- (e) every tenure-holder is, as far as possible, allotted a compact area ,at the place where he holds the largest part of his holding :

Provided that no tenure-holder maybe allotted more chaks than three except with the, approval in writing of the Deputy Director of Consolidation.

Provided further that no consolidation made shall be invalid for the reason merely that the number of chaks allotted to a tenure- holder exceeds three ;

- (f) every tenure-holder is, as far as possible, allotted the plot on which exists his private source of irrigation or any other improvement together with an area in the vicinity equal to the valuation or the plots originally held by him there; and
- (g) every tenure-holder is, as far as Possible, allotted chaks in conformity with the process of rectangulation in rectangulation units.

- (2) A consolidation scheme before it is made final under section 23, shall be provisionally drawn up in accordance with the provisions of section, 19-A.]¹

[Preparation of provisional consolidation scheme by the Assistant Consolidation Officer]

- 19-A (1) The Assistant, Consolidation officer shall in consultation with the consolidation Committee, prepare in the form prescribed, a provisional Consolidation Scheme for the unit,
- (2) Notwithstanding anything contained in this Act, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 or any other law for the time being in force, it shall be lawful for the Assistant Consolidation Officer where in his opinion it is necessary or expedient so to do to allot a tenure-holder, after determining its valuation [any land belonging to the State Government, or]³ any, land vested, in the Gaon Sabha, or any other local authority or as a result of notification issued under section 117, or 117-A of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950;

Provided where any, such, land is used for a public purpose, it shall be allotted only after the Assistant Consolidation Officer has declared in writing that it is proposed to transfer the rights of the public as well as all individuals in or, over that land to any either and specified in the declaration and earmarked for that, purpose in the provisional Consolidation Scheme.]²

[Publication of the provisional consolidation scheme and receipt of objection thereon]

20. (1) Upon the preparation of the provisional consolidation scheme, the Assistant, Consolidation officer shall send or cause to be sent, to the tenure-holder concerned and person's interested, notices containing relevant extracts therefrom. The provisional consolidation scheme have thereafter, be published in the unit.

1. Substituted by section 19 of U.P. Act No. 8 of 1963.

2 Added by section 20 *ibid*.

3. Ins. by section 9 of U. P. Act No. 30 of 1991.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 21]

- (2) Subject to the provisions contained in section 11-A any person to whom notice has been sent under sub-section (1), and any other person affected by the provisional consolidation scheme, disputing the property or correctness of the entries in the provisional consolidation scheme; or in the extracts furnished therefrom may, within fifteen days of the receipt or the notice or of the date of the publication of the consolidation scheme, as the case may be file an objection before the Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer.
- (3) Any person affected, or any person having any interest or right, in addition to the, right of public highway in, or over any public land, or having other interest or right which is substantially prejudiced by the declaration made under sub-section (2) of section 19-A, may, within fifteen days after the publication of, the provisional consolidation scheme file an objection before the Assistant Consolidation officer or the Consolidation Officer stating the nature of such interest or right.]²

[Disposal of objections to the provisional Consolidation Scheme]

21. (1) All objections received by the Assistant Consolidation Officer shall, as soon as may be, after the expiry of the period of limitation prescribed therefor be submitted by him to the Consolidation Officer who shall dispose of the same, as also the objections received by him, in the manner hereinafter provided after notice, to the parties concerned and the Consolidation Committee.]¹

- (2) Any person aggrieved by the order of the Consolidation Officer under sub-section (1) may, within [15]³ days of the date of the order file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, whose decision shall, except as otherwise provided by or under this Act, be final.
- [(3) The Consolidation Officer shall, before deciding the objections, and the Settlement Officer, Consolidation may, before deciding an appeal, make local inspection of the plots in dispute after notice to the parties concerned and the Consolidation committee.
- (4) It during the course of the disposal of an objection or the hearing of an appeal, the Consolidation Officer or the Settlement Officer, Consolidation, as the case, may be, is of this opinion that Material injustice is likely to be caused to a number of tenure-holders in giving-effect to, the provisional Consolidation Scheme as prepared by the assistant Consolidation Officer, or as, subsequently modified by the Consolidation Officer, as the case may and, that, a fair and proper allotment of land to the, tenure-holders of the units is not possible without revising the provisional Consolidation Scheme, or getting a fresh one prepared, it shall be lawful, for reasons to be recorded in writing for----
 - (i) the consolidation officer to revised provisional consolidation scheme, after giving opportunity of being heard to the tenure-holders concerned, or to remand the same to the Assistant consolidation officer, with such directions as the Consolidation officer may consider necessary; and

1. Substituted by section 21 of U. P. Act No. 8 of 1963.

2. Subs. by s. 18 (1) of U. P. Act 38 of 1958.

3. Subs. by s. 22 (1) of U. P. Act 8 of 1963.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 22-24]

- (ii) the Settlement Officer, Consolidation to revise the provision of Consolidation Scheme after giving opportunity of being heard to the tenure-holders concerned or to remand the same to the Assistant Consolidation Officer, or the Consolidation Officer as the Settlement Officer Consolidation may think fit with such directions as the may consider necessary.]¹

(5) [X X X]²

(6) [X X X]²

22. [X X X]³

[Confirmation of the provisional Consolidation Scheme and the issue of a allotment orders

23. (1) The Settlement Officer, Consolidation shall confirm the provisional Consolidation Scheme- --
 - (a) if no objections are filed within the time specified in section 20 ; or
 - (b) where such objections are filed, after such modifications or alterations as may be necessary in view of the orders passed under sub-sections (1) to (4) of section 21.
- (2) The provisional Consolidation Scheme so confirmed shall be published in the unit and, except as otherwise provided by or under this Act shall be final.
- (3) (i) Where the allotments made under section 19-A are not modified under section 21 and are confirmed under sub-section (1), the extracts contained in the notice Issued under section 20, shall [except

as provided by or under this Act]⁶ be treated as final allotment orders for the tenure-holders concerned;

(ii) In cases not covered by clause (i), revised extract specifying the modified allotments; as confirmed under sub-section (1) shall be issued by-----

(a) the Consolidation Officer, where the allotments are not modified by the Settlement Officer, Consolidation; and

(b) by the Settlement Officer, Consolidation, where he has modified the allotment, and the same shall [except as otherwise, provided by or under this Act]⁶ be the final allotment orders for the tenure-holders concerned.]⁴

CHAPTER IV ENFORCEMENT OF THE SCHEME

[Possession and
accrual of
compensation
for trees, etc.

24. (1) The Settlement Officer, Consolidation, shall fix the date to be notified in the unit, from which the [final consolidation scheme]⁵ shall come into force. On and after the said date a tenure-holder shall be entitled to enter into possession of the plots allotted to him.

-
1. Subs. by section 22 (2) of U. P. Act 8 of 1963.
 2. Omit by section 22 (3) *ibid*.
 3. Omitted by section 23 *ibid*.
 4. Subs. by section 24 *ibid*.
 5. Subs. by section 25 (1) of U. P. Act No. 8 of 1963.
 6. Ins. by section 46 of U. P. Act 12 of 1965.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 25-28]

(2) On from the date of obtaining possession every tenure- holder getting trees, wells, and other improvements existing on the plots allotted to him in pursuance, of the enforcement of the [final consolidation scheme]² shall be liable, [for the payment of]³ and pay to the former tenure-holder thereof, compensation for the trees wells and other improvements allotted to him, to be determined in the manner hereinbefore provided.]¹

25. [* * * *]⁴

26. [* * * *]⁴

26-A [* * * *]⁴

[New revenue
records

27. (1) As soon as may be, after the final consolidation scheme has come into force, the District Deputy Director of Consolidation shall cause to be prepared for each village, a new map filed book and record of rights in respect of the consolidation area, on the basis of the entries in the map as corrected under section 7 the Khasra Chakbandi, the annual register prepared under section 10 and the allotment, orders as finally made and issued in accordance With the provisions of this Act. The provisions of the U. P. Land Revenue Act, 1901 shall, subject to such modification as maybe prescribed, be followed in the preparation of the map and records.]⁵

[(2) All entries in the record of rights prepared in accordance with the provision of sub-section (1) shall be presumed to be true until the contrary is proved.

(3) After the issue of notification under section 52, the Collector shall, instead of the map, field-book and record of rights previously maintained by him

maintain the map, field-book and record of rights prepared in accordance with the provisions of sub-section (1) [and the provisions of the U. P. Land Revenue Act, 1901 relating to the maintenance and correction of such map, field book and record of rights shall mutatis mutandis apply]^{7,6}

[Delivery of possession

28. (1) The Assistant Consolidation Officer on the application of the tenure-holder or the Land Management Committee, to whom chak or lands have been allotted under the final Consolidation scheme, [may, and where any land has been allotted to the State Government shall, without any application off the State Government, within six months of the date on which the said scheme has come into force, put the tenure-holder or the Land Management Committee or the State Government, as the case may be, in actual physical possession of the allotted chak or lands,]⁸ and for so doing shall have all the powers including powers as regards contempt, resistance and the like as are exercisable, by a Civil Court in execution of a decree for delivery of possession of immovable property :

-
1. Subs. by section 21 of U. P. Act No. 38 of 1963.
 2. Subs. by section 25 (1) of U. P. Act No. 8 of 1963.
 3. Subs. by section 25 (2) ibid.
 4. Deleted by section 22 of U. P. Act No. 38 of 1958.
 5. Subs. by section 26 of U. P. Act No. 8 of, 1963.
 6. Subs. by section 47 of U. P. Act. No. 12 of 1965.
 7. Subs. by section 23 of U. P. Act. 34 of 1974.
 8. Ins. by section 10 (a) of U.P. Act No. 30 of 1991.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 29-29A]

Provided that the delivery of possession as aforesaid shall not affect the right of the person from whom possession is transferred to tend and gather the crops standing on such chaks or land or part thereof, on the date of the delivery, unless the Assistant Consolidation Officer decides, for reasons to be recorded that the possession over the crop also shall be delivered :

Provided further that the person tending and gathering the standing crop, in accordance with the first proviso, shall be liable may to the person, who has been allotted the chak, or lands, compensation for the use of the land at such rate and in such manner as may be prescribed.

- (2) On the expiry of six months from the date en which a tenure-holder or Land Management Committee [or State Government]⁵ became entitled to enter into possession of the chak or lands allotted, whether before or after the coming into force of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Act, 1963, or on the expiry of six months from the date of the coming into force of that Act, which ever is later, the tenure holder in the Land Management Committee [or State Government]⁵, as the case may be shall unless possession has been obtained earlier, be deemed to, have entered in to actual physical possession of the allotted chak of land :

Provided that the fact that a tenure-holder or the Land Management Committee [or State Government]⁵ has thus entered in possession shall not affect the right or the person from whom possession is deemed to have been transferred to tend and gather the crop standing on the chak or lads or part thereof, on the date of the expiry of the period of six months aforesaid.]¹

Compensati
on

29. [(1) Where possession over standing crops is also delivered under section 28, the Assistant Consolidation Officer shall determine in the manner prescribed, the compensation payable in respect of such crops by the tenure-holder put in

possession [X X X]³.]²

[(1-A) Any person aggrieved by an order under sub-section (1), may within fifteen days of the date of the order, prefer an appeal before the Consolidation Offices, whose decision thereon, shall be final.]⁴

(2) [X X X]³

(3) [X X X]³

[Recoveries of compensation 29-A (1) Where a tenure-holder from whom compensation is recoverable under this Act fails to pay the same within the period prescribed therefor, the person entitled to receive it, may in addition to any other mode of recovery open to him, apply to the Collector within such time as may be prescribed to recover the amount due on his behalf as if it were an arrear of land revenue payable to Government.

-
1. Substituted by s. 27 of U. P. Act. 8 of 1963.
 2. Subs by section 5 of U.P. Act No.13 of 1955.
 3. Delete by section 15 (1) of U. P. Act 2 of 1956,
 4. Added by section 28 of U, P Act No, 8 of 1963.
 5. Subs. by section 10 (b) of U.P. Act No. 30 of 1991.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 29AA-29B]

(2) Where any compensation payable under this Act is not and whether in whole or in part within three months of the date of obtaining possession [under section 24 or section 28, as the case may be]² interest at the rate of 6 per cent per annum shall be charged on the amount not so paid.]¹

[Reduction of land revenue on account of contribution of land for public purposes 29-AA (1) Where, as a result of contribution for public purposes under the provisions of section 8-A, the area of the original holding of a tenure-holder is reduced, the land revenue payable for the holding shall be reduced by the Assistant Consolidation Officer, in the, same proportion as the area so contributed bears to the original total area of the holding, and the reduced land revenue shall be shown in the provisional consolidation scheme.

(2) A tenure-holder aggrieved by the reduction made under sub-section (1) may, within 15 days of the date, of publication of the provisional consolidation scheme under section 20 file an objection before the Assistant Consolidation Officer or the Consolidation Officer for getting the reduction of the Land revenue determined in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.]³

[Compensation for land contributed by tenure-holders for public purposes 29-B (1) (a) Every tenure-holder any part of whose holding has been, contributed for public purposes under this Act, shall be paid, for the land so contributed, compensation equal to--

- (i) in the case of land of a [bhumidhar with transferable rights]⁵, four times; and
- (ii) in the case of the land of a bhumidhar with non-transferable rights]⁶ two times of the land revenue reduced under section 29-AA,

(b) In the case of trees, wells and other improvements, falling within the land so contributed, the amount of compensation behalf be determined in

accordance with the provisions of section 19.

- (2) The Compensation payable to a tenure-holder shall after adjustment of the cost of operations under this Act, if any be paid, to him in cash.
- (3) Where any land, in respect of which compensation is paid under-sub-section (1), is in occupation of, an, asami, there shall lie paid to the asami out of the compensation payable to the [bhumidhar with transferable rights or bhumidhar with non-transferable rights]⁷ as the case may be, an amount equal to 5 per cent of such compensation in respect of the right title and interest of the asami therein.]⁴

-
1. Del, by section 15 (2) of U. P. Act No, 24 of 1956.
 2. Added by section 16 of U.P. Ad No. 24 of 1956.
 3. Subs. by section 24 of U. P. Act. No. 38 of 1958.
 4. Added. by section 29 of U. P. Act 8 of 1963.
 5. Subs by section 11 (a) (i) of U.P. Act No. 30 of 1991.
 6. Subs by section 11 (a) (ii) *ibid*.
 7. Ins. by section 11 (b) *ibid*.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 29C-30]

Vesting of
and
contributed
for public
proposes

- (1) The land contributed for public purposes under this Act shall, with effect from the date on which the tenure-holders became entitled to enter into possession of the chaks allotted to them under the provisions of this Act as amended from time to time, vest and be always deemed to have vested in the Gaon Sabha [in an area in which section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 applies and in the State Government in any other area]² and shall be utilized for the purpose for which it was earmarked in the final consolidation of scheme, or in case of failure of that purpose, for such other purposes may be prescribed.
- (2) The provisions of section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall *mutatis mutandis* apply to such land [vested in the Gaon Sabha]³ as if the land had vested in the Gaon Sabha by virtue of a declaration made by the State Government under sub-section (1) of that section and as if the declarations were made subject to the conditions respecting utilization specified in sub-section (1) of this section.
- (3) [X X X]¹

[Consequences
which shall
ensue
on exchange
of possession

30. With effect from the date on which a tenure-holder enters or is deemed to have entered in to possession of the chak allotted to him in accordance with the provisions of this Act, the far awing consequences shall ensue----

- (a) the rights title, interest and liabilities--
 - (i) of the tenure-holder entering or deemed to have entered, into possession; and
 - (ii) of the farmer tenure-holder of the plats comprising the chak, in their respective original holdings shall cease, and
- (b) the tenure-holder entering into possession, or deemed to have entered into possession, shall have in this chak the same rights title interests and liabilities as he had in the original holdings together with such other benefits of irrigation from a private source till such source exists, as

the farmer tenure-holder of the plots comprising the chak had in regard to them;

(c) land vested in the Gaon Sabha, or any local authority, and allotted to the tenure-holder shall be deemed to have been resumed by the State Government under the provisions of section 117 or section 117-A, as the case may be, of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and settled with tenure-holder;

(d) the rights of the public as well as all individuals in or over land included in a chak following a declaration made under the proviso to sub-section (2) of section 19-A, shall cease and be created in the land specified for the purpose in the final consolidation scheme; and

1. Subs. by section 3 (2) of U. P. Act. No. 21 of 1966.

2. Subs by section 12 (a) of U.P. Act No. 30 of 1991.

3. Ins. by section 12 (b) *ibid*.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 31-38]

(e) the encumbrance if any, upon the original holding at the tenure-holder entering, or deemed to have entered, into possession, whether by ay of lease, mortgage or otherwise shall in respect of that holding, cease, and be created on the holdings, or on such part thereof, as may he specified in the final consolidation scheme.]¹

31. [X X X]²

[Power to
transfer holdings

32. A transfer, whether by exchange or otherwise of rights, title, interest and liabilities of tenure- holders in their holdings, involved, in giving effect to the final Consolidation Scheme affecting them, shall notwithstanding, anything contained in the U. P. Land Revenue Act, 1961 and the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 be valid and not tenure holder or other person shall be entitled to object or interfere with any such transfer.]³

Costs

33. [(1) The State Government shall fix the amount of costs of the operations conducted, under the Act and shall recover from the tenure-holders of the unit such part thereof and in such manner as may be prescribed.]⁴
(2) If the State Government so decides it, may order that a specified amount be recovered in advance in the manner prescribed, as the first installment of the cost of [the said operations]⁵.
(3) Any amount payable as costs under this section shall be recoverable as arrears of land revenue.

34 [X X X]⁶

35. [X X X]⁶

36. [X X X]⁷

36-A [X X X]⁷

Chapter V

MISCELLANEOUS

37. [X X X]⁷

Power to

38. (1) The Director of Consolidation Land Deputy Director of Consolidation

enforcer
attendance of
witnesses and in
certain Matters

Settlement Officer, Consolidation Officer and Assistant Consolidation Officer shall have all such powers and rights' and privileges as are vested in a Civil Court on the occasion of any action; in respect of the following matters:

1. Substituted by section 32 of U. P. Act No. 13 of 1963.
2. Deleted by section 33 *ibid*.
3. Subs. by section 34 of U. P. Act 8 of 1963.
4. Subs by section 35 (1) *ibid*.
5. Subs. by section 35 (2) *ibid*.
6. Del. by section 36 *ibid*.
7. Del. by section 29 of U. P. Act 38 of 1958.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 39-41A]

(a) the enforcing of the attendance of witnesses and examining them on oath. affirmation or otherwise and the issue of a commission or request to-examine witnesses abroad;

(b) compelling anyone for the production of any document;

(c) the punishing of persons guilty of contempt and a summon signed by such officer may be substituted for and shall be equivalent to any formal process capable of being issued in any action by a Civil Court for enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of document.

(2) [X X X]¹

Power for
production of
documents, etc.

39. (1) Subject to any conditions or restrictions that may be prescribed, the Director of Consolidation Deputy Director of Consolidation Settlement Officer Consolidation, Consolidation Officer, or Assistant, Consolidation Officer may, by written order require any person to produce such documents papers and registers or to furnish such information as .he may deem necessary for the proper exercise of his powers or the proper discharge of his duties under this Act.
- (2) Every person required to produce any document, paper or register or to furnish information under this section shall be deemed legally bound to do so within the meaning of sections 175 and 176 of the Indian Penal Code.

Proceedings before
Director of Conso-
lidation, Deputy
Director of
Consolidation,
Settlement Officer
Consolidation,
Consolidation Officer
and
Assistant Consoli-
dation Officer to be
judicial Proceedings

40. A proceeding before a Director of consolidation, Deputy Director of Consolidation, settlement officer, consolidation, consolidation officer and assistant Consolidation officer shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code.

[Application of U. P. Land Revenue Act, 1901] 41. Unless otherwise expressly provided by or under this Act, the provisions of Chapters IX and X of the U. P. Land Revenue Act, 1901, shall apply to all proceeding including appeals and applications under this Act.

[Affidavits] 41-A Affidavits to be filed in any proceedings under this Act, including an appeal or revision shall be made in the same manner and conform to the same requirements as affidavits filed under the Code of Civil Procedure, 1908 and may be verified by any officer or other person appointed by the High Court under, clause (b) or by an officer appointed by any other court under clause (c) of section 139 of the said Code.]²

1. Del. by section 30 (2) of U. P. Act 38 of 1958.
2. Added by section 2 of U. P. Act 31 of 1970.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 42-45A]

[Officer and Authorities] 42. (1) The State Government may appoint such authorities and officers, and for such areas as may be necessary to give effect to provisions of the Act.]⁵
(2) The District Deputy Director of Consolidation may, subject to such directions as the director of Consolidation may, issue from time to time demarcate the circles to be assigned to Consolidation Lekhpals, Consolidators and other authorities appointed for the district under sub-section (1).

[Correction of clerical arithmetical error] 42-A Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force if the Consolidation Officer or the Settlement Officer, Consolidation is satisfied that a clerical or arithmetical error apparent on the face of the record exists in any document prepared under any provision of, this Act, he shall, either on his own motion or on the application of any person interested, correct the same.]⁴

43. [X X X]³

[Delegation] 44. The State Government may by notification in the official Gazette and subject to such restrictions and conditions as may, be specified in the notification:
(i) delegate to any officer or authority any of the power conferred upon it by this Act ; and
(ii) confer power of the Director of Consolidation, Deputy Director, Consolidation; the Settlement Officer, Consolidation and the Consolidation Officer under this Act or the rules made thereunder on any officer or authority.]¹

[Powers of subordinate authority to be exercised, by a superior authority] 44-A Where powers are to be exercised or duties to be performed under this Act of the rules made thereunder such powers or duties may also be exercised or performed by an authority superior to it.]²

[Powers of officers to enter upon land for purposes of survey and demarcation] 45. The officer mentioned in this Act or any person acting under the orders of any one of them may, in the discharge of any duty under this act, enter upon and survey land and erect survey marks, thereon and demarcate the boundaries thereof and do all other acts necessary for the proper performance of that duty.

[Penalty for contravening provisions of section 5] 45-A (1) Any person contravening the provisions of section 5 (c) (i) shall, a conviction by a court of competent jurisdiction, be liable, to a fine not exceeding rupees one thousand.

- (2) A transfer made in contravention of the provisions of section 5 (c) (ii) shall not be valid or recognized, anything contained in any other Jaw for the time being to in force to, the contrary notwithstanding.]⁴

1. Subs. by section 36 of U. P. Act 38 of 1958
2. Subs, by section 37 *ibid*.
3. Omitted by section 38 *ibid*.
4. Added by section 39 *ibid*.
5. Subs. by section 37 of U.P. Act No. 8 of 1963.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 46-48]

Penalty for destruction, injury or removal of survey [or boundary]⁵ marks

46. (1) If any person destroys willfully or injures or removes without law-full authority a survey [or boundary]⁶ mark lawfully erected, he may be ordered by a consolidation officer to pay such compensation not exceeding [one thousand rupees]⁶ for each mark so destroyed, injured or removed, as may in the opinion of that officer be necessary to defray the expenses of restoring the same and of rewarding the person, if any, who gave information of the destruction, injury or removal.
- (2) The order for the payment of compensation under sub-section (1), shall not bar a prosecution under section 434 of the Indian Penal Code

Appeal etc. to be allowed by the Act

47. No appeal and no application for revision shall lie from any order passed under the provisions of this Act except as provided by or under this Act.

Revisions and reference

48. (1) The Director of Consolidation may call for and examine the record of any case decided or proceedings taken by any sub-ordinate authority for the purpose of satisfying himself as to the regularity of the proceedings, or as to the correctness, legality or propriety of any order [other than an interlocutory order]⁴ passed by such authority in the case or proceedings and may after allowing the parties concerned an opportunity of being heard, make such order in the case or proceedings as he thinks fit.
- (2) Power under sub-section (1) may be exercised by the Director of Consolidation also on a reference under sub-section (3).
- (3) Any authority subordinate-to the Director of Consolidation may after allowing the parties concerned an opportunity of being heard, refer, the record of any case or proceedings to the Director of Consolidation for action under sub-section (1).]¹

[Explanation [(1)]² For, the purposes of this section, Settlement Officers Consolidation, Consolidation Officers, Assistant Consolidation Officers, Consolidators and Consolidation Lekhpals shall be subordinate to the Director of Consolidation.]²

[Explanation (2) For the purposes of this section the expression interlocutory order in relation to a case or proceeding, means such order deciding any matter arising in such case or proceedings or collateral thereto as does not, have the effect of finally disposing of such case or proceeding.]³

1. Subs. by section 39 of U. P. Act 8 of 1963.
2. Add. by s. 25 of U. P. Act 4 of 1969.
3. Existing Explanation re-numbered as Explanation (1) and new Explanation (2) ins, by section 20 (ii) of U. P. Act 20 of 1982.
4. Insert by section 20 (1) of U. P. Act 20 of 1982.
5. Subs. by section 13 (a) of U.P. Act No. 30 of 1991.
6. Ins. by section 13 (b) *ibid*.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 48A-48B]

[Special provisions with respect to evacuee property]

48-A (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Act:-

(a) no decision of the Custodian (Evacuee Property thereafter in this section referred to as the Custodian) in relation to title to any land vested in him as evacuee property under the provisions of the Administration of Evacuee property Act, 1950, shall be called in question and varied or reversed by any officer or authority under this act: and

(b) nothing in this Act, shall be construed as requiring the Custodian to stay any proceedings in relation to title to any such land pending before him on the date of the coming into force of those provisions of this Act under which proceedings in relation to title to land are required to be stayed or as empowering the consolidation officer or any other officer or authority to refer for determination of any question of title in relation to such land involved in any proceedings pending before the custodian on such date.

(2) Where as a result of consolidation operations in .any village-----

(a) lands, which are vested as evacuee property in the Custodian under the provisions of, the Administration of Evacuee Property Act, 1950, are included in holdings which are not vested in the Custodian as evacuee property, such land shall. on and from the date, of the coming into force of the consolidation scheme cease to be so vested in the Custodian, and the provision of the said Act shall thereupon cease to apply in relation thereto; and

(b) in lieu of such lands, corresponding lands shall be included in holdings which are vested in the Custodian as evacuee property, and such lands shall, on and from the date of the coming into force of the consolidation scheme, be deemed to be evacuee property declared as such within the meaning of die aforesaid Act and be vested in the Custodian and the provision of the said Act shall thereupon apply, so far as may be, in relation to such lands.]¹

[Exchange of possession]

48-B (1) Where change of possession becomes' necessary amongst tenure-holders including the Land Management Committee of the circle as a result of orders passed [XXX]³ under section 48, it shall be lawful for them to exchange possession amongst themselves in, accordance with such orders.

(2) Where change of possession cannot be effected by mutual arrangement, the Assistant Consolidation Officer shall affect delivery of possession to such tenure-holders and the Land Management Committee in accordance with the provisions of section 28.]²

1. Added by section 19 of U. P. Act 26 of 1954.
2. Add. by section 41 of. U. P. Act. 38 of 1958.
3. Omitted by section 40 of U. P. Act 8 of 1963.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 49-52]

[Bar to civil jurisdiction]	49.	Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the declaration and adjudication of rights of tenure-holders in respect of land lying in an area, for which [notification] ⁴ has been issued [under sub-section (2) of section 4] ⁷ or adjudication of any other rights arising out of consolidation proceedings and in regard to which a proceeding-could or ought to have been taken under this Act, shall be done in accordance with the provisions of this Act and no civil or revenue court shall entertain any suit or proceeding with respect to rights in such land or with respect to any other matters for which a proceeding could or ought to have been taken under this Act;] ¹ [Provided that nothing in this section shall preclude the Assistant Collector from initiating proceedings under section 122-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 in respect of any land possession over which has been delivered or deemed to be delivered to a Gaon Sabha under or in accordance with the provisions of this Act.]] ⁸
[Protection of action taken under this Act or rules made thereunder]	49-A	No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.]] ²
[Exemption from court-fee]	50.	No court-fee shall be payable on any application made or any document filed, with the exception of a Vakalatnama, in any suit or proceedings under the provisions of this Act.]] ³
[Instrument not necessary to effect transfer]	51.	Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no Instrument in writing shall be necessary for effecting a transfer of holdings involved in giving effect to a final consolidation scheme nor shall any instrument, if executed, require registration.]] ⁵
[Close of consolidation operations]	52. (1)	As soon as may be after fresh maps and records have been prepared under sub-section (1) of section 2, the State Government shall issue a notification in the official Gazette that the consolidation operations have been closed in the unit and the village or villages forming part of the unit shall then cease to be under consolidation operations; [Provided that the issue of the notification under this section shall not affect the powers of the State Government to fix distribute and recover the cost of operations under this Act.]] ⁶

1. Subs. by section 42 of. U. P. Act. 38 of 1958.
2. Add. by section 43 of U. P. Act 38 of 1958 .
3. Subs. by section 44 ibid.
4. Subs. by section 41 of U. P. Act 8 of 1963.

5. Subs. by section 42 *ibid*.
6. Added by section 43 *ibid*.
7. Subs. by section 48 of U. P. Act 12 of 1965.
8. Ins. by section 21 of U. P. Act 20 of 1982.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 52-A]

- [(1-A) The notification issued under sub-section (1) shall be published also in a daily newspaper having circulation in the area and in such other manner as may be considered proper.]³
- [(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any order passed by a court of competent jurisdiction in cases of writs filed under the provisions of the Constitution of India, or in cases for proceedings pending under this Act on the date of issue of the notification under sub-section (1), shall be given effect to by such, authorities as may be prescribed and the consolidation operations shall, for that purpose be deemed to have not closed.]¹
- [(3) Where the allotment or lease of any land, made before the consolidation scheme becomes final under section 23, is cancelled by an order under sub-section (4), of section 198 of the Uttar Pradesh Zamindari abolition and Land Reforms Act, 1950 and such order becomes final then notwithstanding anything contained in the provision of this Act, such order shall be given effect to by such authorities, as may be prescribed in the following manner, and the consolidation operation shall for that purpose, be deemed to have not closed; namely--
- (a) the value of the land which was the subject matter of such allotment or lease shall first be ascertained in the manner prescribed ;
 - (b) the value referred to in clause (a), shall be deducted from the total value of land allotted to the tenure-holder concerned during consolidation, proceedings;
 - (c) the tenure-holder shall be entitled during consolidation proceeding to land equivalent in valuation of the said land.]²

[Special provisions for Chak Roads and Chak Guls

- 52-A (1) In the case of a unit in relation to which a notification under sub-section (1) of section 52 has been issued before the commencement of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Act, 1970 the Collector may, if he is of opinion that there exists no provision or inadequate provision of chak roads of chak guls in the unit, and shall if a representation in that behalf by not less than ten per cent of the total number of tenure holders is made to him within six months of the said commencement proceed to take action under sub-section (2), anything to the contrary contained in section 52 notwithstanding.
- (2) The Collector shall cause a notice of the proposal to take action under this section and also of the representation, if any, received under sub-section (1) to be given in the unit by beat of drum and in such other manner, if any, as he thinks fit and direct any Consolidation Officer to inspect the locality and take reasonable steps to ascertain the wishes of the tenure-holders or as the case may be of such of them as have not joined in the representation, and to make such other inquiry into the matter as he thinks fit.

1. Add. by section 43 of the U. P. Act .No. 8 of 1963.

2. Ins. by section 32 of U. P. Act. No. 35 of 1976.
3. Added by section 14 of U.P. Act No. 30 of 1991.

[The Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953]

[Section 52-A]

- (3) Such Consolidation Officer shall make a report to the Collector on the advisability or otherwise of drawing up a plan making provision or as the case may be, more adequate provision, for chak roads or chak guls in the unit, and the Collector on being satisfied after considering such report that it is necessary or expedient so to do, shall cause a draft plan to be prepared.
- (4) The Assistant Consolidation Officer shall thereupon, after ascertaining informally the wishes of as many tenure-holder a of the unit as he considers practicable, prepare a draft plan in the prescribed form proposing such provision or additional provision of chak roads or chak guls, as may be necessary. In preparing the draft plan the Assistant Consolidation Officer shall have regard to the following principles, namely-
 - (a) that as far as practicable, provision of chak roads and chak guls should be made primarily by utilising land vested in the Gaon Sabha and secondarily out of land held by those tenure-holders whose chaks are connected with the proposed chak roads or chak guls and in the last resort, out of any other land:
 - (b) there arrangement of chak should be made only to the extent it is really necessary for making provision of chaks roads and chalk guls with minimum possible, dislocation in, the consolidation scheme already confirmed.
- (5) The draft plan prepared under sub-section (4) shall be published in the prescribed manner.
- (6) Any person affected by the draft plan may within 15 days from the date of such publication file an objection in writing before the Consolidation Officer.
- (7)
 - (a) The Consolidation Officer shall dispose of all objections after notice to the parties concerned:
 - (b) Any person aggrieved by the order of the Consolidation Officer under clause (a) may Within 15 days from the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, whose decision thereon shall be final.
- © Before deciding the objections under clause (a), the Consolidation Officer, and before deciding the appeal under clause (b), the Settlement Officer, Consolidation, may make a local inspection of the site in dispute after notice to the parties concerned.
- (d) It shall be lawful, for reasons to, be recorded in writing, for the Consolidation Officer under clause (a) and the Settlement Officer, Consolidation under clause (b) to modify the draft plan in the settlement with the principles specified in sub-section (4) and for the Settlement Officer, Consolidation, to remand the same either to the Consolidation Officer or to the Assistant Consolidation Officer with such directions as he thinks fit.
- (8) The Settlement Officer, Consolidation, shall confirm the plan-----
 - (a) if no objections are filed within the time specified in sub-section (6); or

(b) where such objections are filed, after the modifications or alternations as may be necessary in view of the orders passed oil objections and appeal under sub-section (7).

- (9) The plan confirmed under sub-section (8) shall be published in the unit in the prescribed manner and shall come into force on the date of such publication, and thereupon the consolidation scheme and the allotment orders made final under section 23 shall stand amended to the extent indicated in the plan, and fresh allotment orders shall be issued by the Settlement Officer, Consolidation accordingly.
- (10) The provisions of Chapter IV shall mutatis mutandis apply in relation to the said plan as they apply in relation to the final, consolidation scheme, and for the purposes of application of Chapter IV land contributed for chak roads and chak guls provided under this section shall be deemed to be land contributed for public purposes under section 8-A.]⁵

[Mutal exchange of chaks between tenure-holders

53. It shall be lawful for the Settlement Officer, Consolidation, at any stage of the consolidation proceedings but before the preparation of the final records under section 27, to allow mutual exchange of chaks, or part thereof [by agreement]² between the tenure-holders, where he is satisfied that the exchange will improve the shape of chaks, or reduce their number and generally lead to greater satisfaction amongst them .

Recognition of [consolidation scheme]³ prepared by tenure-holders

- 53-A (1) The Deputy Director of Consolidation may recognise a [consolidation scheme]³ in respect of a village within or without a consolidation area, prepared voluntarily by the tenure-holders of the village, where he is satisfied that it conforms to the broad principles of consolidation under this Act, and has support of all the tenure-holders concerned and is of her wise fair to all concerned.
- (2) The [consolidation scheme]³ recognized under sub-section (1) shall be deemed to have been prepared and confirm under the provisions of this Act and shall be enforced thereunder.

[Limitation

- 53-B The provision of section 5 of [the Limitation Act, 1963]⁴ shall apply to the application, appeals, revisions and other proceedings under this Act or the rules made thereunder.]¹

Rules

54. (1) The State Government may [by notification in the Gazette make rules]⁶ for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.

1. Added by section 46 of U.P. Act No. 38 of 1958.
2. Ins. by section 44 of U. P. Act No. 8 of 1963.
3. Substituted by section 45 ibid.
4. Subs. by section 26 of U.P. Act No. 4 of 1969.
5. Inserted by s.3 of U. P. Act No. 31 of 1970.
6. Substituted by section 47 (1) of u. P. Act No. 30 of 1975.

(2) Without prejudice to the generality of foregoing power, such he may provide for :-

(a) the form of [notification]² [under sub-section (2) of section 4 ;]³

(b) the constitution of consolidation committee under clause (2-AA) of section 3, determination of the terms of members of the Consolidation Committee and action to be taken on a vacancy occurring therein;

(c) the procedure for the disposal of suits and proceedings stayed under section 5 ;

[(cc) the condition to be observed by the Settlement Officer (Consolidation) in granting permission referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 5, for transfer of holdings of in the consolidation area;]⁴

[(d) procedure relating to the revision of maps and records including declaration of rights, partition of joint-holdings, valuation of plots, determination and apportionment of compensation for wells, trees and other Improvements and the preparation and publication of the statement of principles under sections 7 to 11 and 12 ;]²

(e) the determination of land revenue over new holdings and distribution thereof on the portions of old holdings under section 12-A ;

[(f) procedure relating to amalgamation of holding under section 12-D ;

(g) the procedure and the manner relating to the preparation publication and confirmation of the. consolidation scheme under sections 19-A, 21 and 23;

(h) the procedure and the manner of issue of allotment orders under section 23;]¹

(i) title procedure and the manner in which the views of the Consolidation Committee shall be obtained on matters specified for this purpose ;

(j) the determination of the public purposes for which areas may be earmarked and the manner in which this shall be done ;

(k) the matters relating to transfer of rights from the public land to other land earmarked for public purposes;

(l) the procedure for entering into possession under sections 24 and 28;

(m) the procedure and the manner for determination of compensation to be paid to or recovered from any person under this Act;

(n) the circumstances and the matters which shall be taken into consideration in distributing the cost of consolidation. including the proportion in which the distribution may be made;

1. Ins. by section 46 of U. P. Act 38 of 1958.

2. Substituted by section 46 of U.P. Act No. 8 of 1963.

3. Substituted by section 50 of U. P. Act No. XII of 1965.

4. Inserted by section 33 of U. P. Act 35 of 1976 and shall be deemed always to have been inserted.

(o) the matters relating to the mode of service of notice or documents under this Act ;

(p) the procedure to be followed in all proceedings including applications and appeals under this Act ;

(q) the duties of any officer, or authority having jurisdiction under this Act and the procedure to be followed by such officer and authority;

(r) the time within which applications and appeals may be presented under this Act in cases for which no specific provision in that behalf has been made herein;

(s) imposing limits of time within which things to be done for the purposes of the rules must be done, with or without powers to any authority therein specified to extend limits imposed;

(t) the transfer of proceedings from one authority or officer to another; and

(u) any other matter which is to be or may be prescribed.

[(3) All rules made under this section shall, as soon as may, after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days comprised in its one session or two or more successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette, subject to such modification or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.]¹

1. Substitute by section 47 of U.P. Act No. 30 of 1975.